

Narayan, Shri M. D.
 Narayanappa, Shri Sanda.
 Shrimati Narayani Devi Manaklal Varma.
 Neki Ram, Shri.
 Parthasarathy, Shri R. T.
 Prasad, Shri Bhola
 Pratibha Singh, Shrimati.
 Purakayastha, Shri Mahitosh.
 Puri, Shri Dev Datt.
 Raju, Shri V. B.
 Ramaswamy, Shri K. S.
 Ramiah, Dr. K.
 Rao, Shri Katragadda Srinivas.
 Reddy, Shri M. Srinivasa.
 Reddy, Shri Mulka Govinda.
 Roshan Lal, Shri.
 Roy, Shri Biren.
 Sangma, Shri E. M.
 Satyavati Dang, Shrimati.
 Sen, Dr. Triguna.
 Sherkhan, Shri.
 Shukla, Shri Chakrapani.
 Singh, Shri Dalpat.
 Sinha, Shri Awadheshwar Prasad.
 Sivaprakasam, Shri S.
 Suraj Prasad, Shri.
 Sushila Mansukhalal Desai, Miss.
 Tiwary, Pt. Bhawaniprasad.
 Usha Barthakur, Shrimati
 Venigalla Satyanarayana, Shri.
 Yadav, Shri Shyam Lal.
 Yajee, Shri Sheel Bhadra.

NOES—3

Bhagwat Dayal, Shri.
 Rajnarain, Shri.
 Reddy, Shri N. Sri Rama.

The motion was adopted.

The Bill was, by leave, withdrawn.

श्री महावीर त्यागी : मैं फिर से अर्ज करता चाहता हूँ कि अगर आप इस की

इजाजत नहीं देते तो हम रोजाना शांटी नो टस बवैश्चन रखेंगे।

श्री सभापति : मैंने आप की बात सुनी। आप कैसे समझते हैं कि मैंने आप की बात नहीं सुनी। आप के कहने के बाद मैं रहा हूँ कि गवर्नमेंट तीन मर्तबा स्टेटमेंट दे चुकी है। जब जब वह जरूरी समझते हैं स्टेटमेंट देते हैं। मैं उन में फिर भी जो कहना चाहता हूँ आप ने जाहिर की है वह कह दूंगा। अब यह गवर्नमेंट पर मुनहसिर है कि वह कब कब स्टेटमेंट दे। लेकिन आप यह कैसे कह सकते हैं कि मैंने आप को नहीं सुना।

श्री राजनारायण : श्रीमन, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब वह गणक हैं और उन से श्री गोडे मुराहरि ने कहा कि हमारा वोट रेकार्ड नहीं हुआ तो उन्होंने उसे लिखा क्यों नहीं ?

MR. CHAIRMAN: That I have concluded.

THE COMPANIES (AMENDMENT) BILL, 1967

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Companies Act, 1956, be taken into consideration."

Sir, the object of my Bill was to amend the Companies Act on the question whether companies cannot make donation to political parties, individuals and other bodies also. I introduced my Bill late in the year 1967 and there was a public agitation in support of the basic principles underlying my amendment. And, Sir, it took the Government about two years to make up its mind and ultimately, in 1969, the Government came forward with an amending Bill accepting the proposal which I made in my Bill also.

Sir, the Government Bill which was passed by the House relates more or less to the same provision which I wanted to amend. But, even after the Government's amending Bill was accepted by the House, I think, Sir, the major problem which faces the country has not yet been overcome.

Sir, the first defect of the Government measure is that the Government, under this Act, proposed to give effect to the provision after the third day of April 1970. The proposal which I made was to give immediate effect, because the danger was very much there and unless there was immediate effect to the provision concerned, the menace which had been created cannot be really curbed. But, Sir, in order to save the vested interests or the parties or the companies or the big industrial houses which are in collusion with or which are having a close relation with the Government, the Government wanted to implement or give effect to the provision only from the third day of April, 1970.

Sir, I think the House is aware of the fact that there have been allegations in this country that the political parties, particularly the undivided Congress Party, received enormous amount of money from the industrial houses of our country. It is not only the undivided Congress Party, but the other parties also like the Swatantra Party, the Jana Sangh and some other parties were also the recipients of large amounts of money from the industrial houses and the power of money in the hands of those industrial houses. . .

SHRI BABUBHAI M. CHINAI (Maharashtra): Sir, on a point of order. My friend, Shri Chitta Basu, says that he introduced this Bill in 1967. Since then the Government has passed a Bill in both the Houses in order to put a ban on donation to the political parties.

MR. CHAIRMAN: Yes.

SHRI BABUBHAI M. CHINAI: After that Bill has been passed and

got the assent of the President, it is being implemented. Now, Sir, is it really in order to bring forward this type of Bill when Parliament has already passed such a Bill? I fail to understand how this Bill can be discussed on the floor of the House. We have already a Bill that has been passed by Parliament.

SHRI CHITTA BASU: No, Sir. My point is this: So far as the effect with respect to my Bill is concerned, it was to be given immediate effect. But the Government wanted to give effect to it in 1970.

SHRI BABUBHAI M. CHINAI: Sir, I think it would be better if you give your ruling. It is really surprising. It will be a wrong precedent for this House to discuss a measure which was introduced in 1967 and afterwards the Government took the initiative. . . .

(Interruptions)

SHRI CHITTA BASU: Please listen to me.

SHRI BABUBHAI M. CHINAI: . . . and now the President's assent has been obtained and the Bill is a law now and at this stage, after 1½ years or rather nearly two years, a Member is putting a Bill before the House and I personally feel that it is not relevant.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Sir, to make it absolutely clear: If you read the two Bills, the Government's amending Act and this one, you will find that the words are entirely different and it is the private limited company. . .

MR. CHAIRMAN: Mr. Bhupesh Gupta, I would like him to state his point first.

SHRI CHITTA BASU: Sir, I say that there is a difference between the Government Bill and mine, and you can take up those two and see.

[Shri Chitta Basu]

Therefore, Sir, many political parties—I mentioned some of the names also . .

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh) Mr Chitta Basu, when you introduced it, the Government Bill was not there. The Government Bill was not there.

SHRI BHUPESH GUPTA Mr Akbar Ali Khan, don't disturb him now.

SHRI CHITTA BASU I have already stated that it took about two years for the Government, after the introduction of my Bill, to make up its mind. Ultimately, the Government decided to amend the particular section. But that does not fulfil the entire objective. And for that, further amendment of the Act is also necessary. I am coming to that point. *(Interruptions)* Listen and then come to the decision. Even after coming to a decision they left a loophole that is, this law would take effect after the 3rd of May, 1970. It has, however, been publicly said by the Government even that the donations—large amounts of donations—were made prior to that—in 1965, in 1967 and in previous years also. Therefore the law has lost much of its effect because many contributions were made earlier than that date fixed by the Act of the Government.

Sir again this amending Act, as has been passed by this House is applicable only to registered companies. It is not applicable to trusts. There are a large number of trusts in our country run by the big industrial houses. This Companies (Amendment) Act of 1969 as passed by Parliament does not cover trusts. It also does not cover partnership firms. Sir I think you are aware that industrial houses still do continue to donate enormous sums of moneys to certain political parties in order to retain their vested interests over these political parties in order to cripple the democratic functioning of our Parliament. They donate large amounts of

money to the political parties of their choice through the agencies of trusts.

Again, Sir, it has come to my notice that those industrial houses also contribute large sums of money through partnership firms. Sir, if the objective was to stop all kinds of donations to political parties by the industrial houses so that the democratic functioning of our country is not in any way affected the basic purpose of the Act has been completely defeated because it does not cover partnership firms it does not cover trusts.

(Mr Deputy Chairman in the Chair)

Sir, it has also been brought to my notice that these principal companies sometimes bring pressure upon their selling agents, upon their distributors, to make contributions to political parties. Instead of making contributions directly, these big industrial houses continue the practice or indulge in the practice of pressurizing their distributors and selling agents which are nothing but a part and parcel of the companies, to make liberal donations to the political parties or individuals of their choice. Therefore, Sir the basic objective of banning contributions to the political parties in order to see that the functioning of our democracy is not adversely affected, has not been fulfilled.

So, far as the individuals are concerned, the Act also says that there should not be any contribution by any industrial house or any company to the individuals. The
11 AM Government has failed to effectively implement the provisions. I find reports in the newspapers of sending several thousands of rupees to certain political individuals saying that they are anonymous contributions. From whom does the money come for his purposes? He merely says that the money was received by him from somebody whom he does not know. He does not even like to give out the name. Therefore the provisions of the Act are not sufficient.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE (Bihar): Who is that person?

SHRI CHITTA BASU: Mr. Nijalingappa. He says that person regularly gave some envelope full of currency notes. He gets envelopes full of currency notes, and from whom? Therefore the object of preventing donations from industrial houses, big companies to political parties, political bodies or individuals in the Act are defeated.

I also want to draw the attention of the Government to the steps taken to implement the provisions of the Act. The story of CACO is well known in this country. The story of CACO's contribution to the different political parties in the country is quite known to the hon. House. Several lakhs of rupees were contributed by CACO some time back to political parties like the Congress—undivided, of course—which received about Rs. 10 lakhs, the Swatantra Party which received about Rs. 14 lakhs, the Jana Sangh which received about Rs. 5 lakhs, the Jana Congress which received about Rs. 2.25 lakhs, and the National Conference of Kashmir also which received Rs. 2 lakhs. Some individuals also received some money, and the newspaper reports suggest that Balraj Madhok received some money; one Mrs. Nigam also received some money from CACO. It was also stated that under the existing provisions of the Companies (Amendment) Act, the CACO President and the office bearers of CACO are to be prosecuted against. So far as my information goes, there have been no effective steps taken to launch a prosecution against the President of CACO or the office bearers of CACO.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: One minute please, Mr. Basu. What do you want to achieve by passing this Bill?

SHRI CHITTA BASU: To prevent donation by companies to political parties and individuals.

1493 R.S.—2.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That has already been done.

SHRI CHITTA BASU: The law which has been passed is not effective.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The same words have been used in that Act.

SHRI CHITTA BASU: But I also want to move an amendment to . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I can read out the relevant section for your information where already a certain law exists to prevent donations and contributions by limited companies to any individual or group of individuals.

DR. BHAI MAHAVIR (Delhi): That objection has already been raised from this side.

SHRI CHITTA BASU: Let the Government say.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) :
आपको इसमें रुलिंग नहीं देनी चाहिये
क्योंकि चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं मुन्जे
के बाद व्यवस्था दूंगा। वे कमरे में बैठकर
सुन रहे हैं और वे सुनते होंगे।

श्री उपसभापति : मैं भी सुन रहा हूँ।

SHRI CHITTA BASU: I am saying, let the Government say. . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Chitta Basu, please make this point clear. What is the provision of the existing Act and in what way does your Bill differ from the existing provision of law?

SHRI CHITTA BASU: One point, which I have stated earlier, is that the Government wants to give effect to it from an appointed day. What I want to say is to give immediate effect. That is one of the important points.

(Interruptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is it?

श्री राजनारायण : इसका मुख्य मकसद यह है कि हमको और श्री चित्त बसु को कुछ बोलना है।

श्री उपसभापति : बोलना है तो ठीक है।

श्री निरंजन वर्मा (मध्य प्रदेश)
उनको तो बोलना है लेकिन दूसरो को सुनना है या नहीं?

SHRI CHITTA BASU: There is one difference. My attempt has always been to prove that even after the passage of the Act, the necessary steps are not being taken.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is a different thing.

SHRI CHITTA BASU: That also need further amendment. In the course of clause by clause discussion, I propose to make certain amendments to my Bill.

SHRI NAWAL KISHORE (Uttar Pradesh): How can you make amendments to your Bill?

The Bill itself in the present form cannot be taken up.

SHRI CHITTA BASU: I am suggesting that the existing law has certain loopholes with regard to the...

(Interruptions)

श्री निरंजन वर्मा : मैं सदन के नेता से प्रार्थना करूंगा आप के द्वारा कि सदन में एक बार जब इस प्रकार का बिल आ कर पास हो कर एक्ट बन चुका है तो क्या उसी प्रकार का उन्ही शब्दों में दूसरा बिल यहाँ जो लाया जा रहा है क्या वह आ सकता है। इस बारे में वे अपनी राय तो बता दें।

THE LEADER OF THE HOUSE

सभा के नेता

(श्री उमाशंकर दीक्षित) : जहाँ तक इन

की वृद्ध निष्ठा का प्रश्न है उन के संबंध में कोई निर्णय तो चेयरमैन कर सकते हैं, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय सदस्य चित्त बासु जो इस को यहाँ रख रहे हैं वह क्यों। क्योंकि वह कानून तो पहले से बना हुआ है और अगर उस कानून के अधीन काम नहीं हुआ, तो वे इस की सूचना दे सकते हैं और शासन उन के मददगार कर आगे कार्यवाही कर सकता है। इस कानून को ला कर अगर वह कानून को रोकना चाहते हैं तो जहाँ तक कंपनियों की बात है मेरी उम्मीद तक सूचना है ऐसा एक भी कानून नहीं आया है कि जहाँ किसी कानून में रोक दिया हो। इन कानूनों के विरुद्ध, और अगर किसी में अड़ता हो तो उन के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है यह आश्वासन मैं सरकार की ओर से दे सकता हूँ। इस के अतिरिक्त और जो बात है वह आप के और प्रेसाइडिंग अफसर के बीच का प्रश्न है।

SHRI CHITTA BASU: I want to make some amendments.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How can you?

SHRI CHITTA BASU: I would like the Leader of the House to understand that the Act does not cover the trusts and partners who are contributing the funds and the Act also does not provide any measure to prevent any distributor, any selling-agent or any agent of the Company from paying contributions.

श्री निरंजन वर्मा : अध्यक्ष महोदय को पता नहीं था। अगर उन को पता होता तो पहले जैसे बिल वापस ले लिया था इस को भी वापस ले लेते। श्रीमान्, बिल में वह इस बात को समझ रहे हैं और इसलिए इस बिल को वे वापस ले रहे हैं।

श्री राजनारायण : इस पर तो हमारा अंग डोट होगा।

MR DEPUTY CHAIRMAN. Do you want to say anything?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS| कंपनी कार्य विभाग में उपमन्त्री

(SHRI BEDABRATA BARUA) The first thing that I want to bring to his notice is that the date is 28th May, 1969 and not 1970. Regarding the trusts and partnerships, they are not covered under this Companies Act at all. Therefore no such amendment can be covered under this Bill. There are separate rules for this. I requested the Mover to withdraw this Bill.

MR DEPUTY CHAIRMAN Mr Chitta Basu, if you do not mind and if you do not have a copy of the Act with you, I can just inform you that there is already section 293(a) in the Companies Act which reads—

“Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, neither a company in general meeting nor its Board of Directors shall, after commencement of the Companies (Amendment) Act 1969, contribute any amount or amounts—

(a) to any political party, or

(b) for any political purpose to any individual or body.”

This is what you are saying in your Bill, is it?

“Notwithstanding anything, contained in this Act no company shall make any contribution to any political party or for any political purpose to any individual or party.”

That is the wording of your Bill. You want to prohibit the donations from the companies, but this Act has gone further. There is a penal clause that if anybody contravenes this particular section of the Companies Act

and makes any contribution for political purpose, that company will be liable for penalty. Therefore, already when there is a particular provision on the Statute Book, the same Bill cannot be given effect to. Same provisions cannot be discussed in this House.

MR DEPUTY CHAIRMAN When that is part of an Act already, how can you discuss the same Bill on the same lines?

SHRI BHUPESH GUPTA No. It can be discussed. What you are saying is technical.

MR DEPUTY CHAIRMAN You can say that the Act is not implemented properly. There can be some other amendment to the Act.

SHRI BHUPESH GUPTA We want a discussion. Suppose we pass like that.

MR DEPUTY CHAIRMAN It is redundant.

SHRI BHUPESH GUPTA It is a separate Bill. Let there be discussion. Then we shall see. Private Members' Bills are meant for discussion.

MR DEPUTY CHAIRMAN When there is already a law.

SHRI BHUPESH GUPTA We know that. That point was raised when the Chairman was there and he allowed the discussion. You are again raising it.

MR DEPUTY CHAIRMAN You hear the point of Mr Basu.

श्री राजनारायण श्रीमन्, अगर इसके लिये शुद्ध संवैधानिक और संसदीय प्रथा को दृष्टि में रख कर व्यवस्था दी जाय तब तो इस पर विवाद यहां नहीं हो सकता लेकिन हमें केयरमैन की इज्जत बचानी है। केयरमैन यह कहा गया कि डिस्कशन चले।

श्री उपसभापति : चेयर ने कहा होगा कि इनको सुन लें डिस्कशन चलाना है या नहीं देन आई विल कसीडर।

श्री राजनारायण : जो कहा है वह यहाँ रिकर्ड होगा।

श्री उपसभापति : आपने खुद कहा था कि उन्होंने कहा कि श्री चित्त बासु को सुन लें, आपने कहा कि चेयरमैन साहब सुन लें उसके बाद में वह रूलिंग देने वाले है। ऐसा आपने स्वयं कहा।

श्री राजनारायण : जरा सुन लीजिये। चेयर ने यह कहा कि उसने सुनने के बाद तब व्यवस्था देंगे, अभी डिस्कशन चले।

श्री उपसभापति : व्यवस्था नहीं दी।

श्री राजनारायण : नहीं दी तो आप उनको चलने दीजिए।

श्री उपसभापति : अगर चेयरमैन ने व्यवस्था दी होती कि डिस्कशन चलता चाहिये तो वह मान्य था, मान्य क्या वह हमारे लिये बाइंडिंग था।

श्री निरंजन वर्मा : अब आप दे दें।

श्री राजनारायण : चेयर की रूलिंग को दूसरा टाल नहीं सकता। अब नहीं दे सकते। आप देना चाहे तो दें लेकिन यह चेयरमैन के सम्मान के विरुद्ध जायगा।

श्री उपसभापति : आप से ज्यादा हम उनके सम्मान का खयाल करते हैं।

श्री राजनारायण : चूँकि यहाँ प्रादरणीय पाठक जी नहीं हैं इसलिये उनके सम्मान की सुरक्षा करना हमारा परम पुनीत कर्तव्य है। अच्छा सुनिये। इसमें हम संशोधन लाना चाहते हैं। हमारा संशोधन इस पर इस रूप में आयेगा, मैं बता दूँ, कि जो एकट पास हुआ है वह बिल्कुल निरर्थक जा रहा है इसलिये

इस सदन के हर दल के लोगों की एक कमेटी बने जो यह देखे कि कम्पनियों ने राजनैतिक पार्टियों को पैसा दिया या नहीं दिया क्योंकि अगर पैसा नहीं दिया तो रूलिंग पार्टी ने इतना धन कैसे खर्च किया लोक सभा के मध्यावधि चुनाव में। उनके पास पैसा आया कैसे। इसीलिये हम इसमें एक संशोधन देना चाहते हैं।

SHRI A. D. MANI (Madhya Pradesh): On a point of order. Under the Rules an amendment can be with the consent of the Chair. We have not got a copy of the amendment. He only gives his ideas. You get a copy of the amendment and then we will consider.

श्री निरंजन वर्मा : इसके लिये भी 24 घंटे पहले अमेन्डमेंट आना चाहिये।

SHRI CHITTA BASU: I can move an amendment to my own Bill.

श्री कल्याण चन्द्र (पश्चिमी बंगाल) : मान्यवर मुझे आश्चर्य है, राजनारायण जी ने इलेक्शन में इतना खर्च कहाँ से किया क्योंकि उनकी पार्टी ने तो दिया नहीं, वे जब ईश्वरी खडे हुए वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए।

श्री राजनारायण : श्रीमान्, मैं यह कहना चाहता हूँ कि वे इलाहाबाद से आते हैं, बेचारे हरिजन हैं, अब उनको इन्दिरा गांधी जब कैबिनेट में नहीं ले रही है तो वे इन्दिरा जी की इतनी दलाली यहाँ काहे को करते हैं?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Mani, what is your point of order?

SHRI A. D. MANI: My point of order is this. Shri Rajnarain has tried to move an amendment. We do not know what the amendment is and he has not taken the consent of the Chair. There is no draft, there is no formulation, how can we consider the idea as an amendment? Let him write out the amendment and

seek your permission. Otherwise this discussion should not proceed. Mr. Chitta Basu also should formulate his amendment. Where is his amendment?

SHRI AKBAR ALI KHAN: He has agreed to withdraw.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, I fully appreciate your spirit. I am not challenging what you say but technically I have found a point. The point here is this. Are these identical Bills? Is the clause identical? I say it is not.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The wording may be different but the purport is the same.

SHRI BHUPESH GUPTA: You kindly listen. If a Bill has been passed and if another is taken up with exactly the same wording you can say that it is not another Bill and both are one and the same. In that case it will become redundant. But here what does the Government Bill say?

"Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, neither the company in a general meeting nor its Board of Directors shall, after the commencement of the Companies Act, contribute any amount or amounts to a political party or for any political purpose to an individual or body."

That is the position. And what does Mr. Chitta Basu's Bill say: ar

"Notwithstanding anything contained in the Act no company shall make any contribution...."

Now this does not say 'amount'. Amount is one thing, contribution is some other thing. Amount is certainly covered by contribution but contribution may be a motor car; may be a house.

SHRI CHITTA BASU: Sir, my point is...

SHRI BHUPESH GUPTA: Please, I am making out your case. So, Sir, we want to extend it, it should be not merely amount or amounts but motor cars, houses and all such things. Jeeps for example, all these will be covered by this Bill. We really want to widen the scope of the contribution. So this cannot by any stretch of imagination be regarded same as the previous one. You know what amount is, only the other day we discussed the word 'amount'. Amount means money.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not necessarily.

SHRI BHUPESH GUPTA: Whereas contribution means a wider thing.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amount will include everything.

SHRI BHUPESH GUPTA: Suppose you are a candidate and you are going to fight an election and I bring you a very dark suit which you like and I say to you, wear that suit and go and campaign. I am making a contribution, surely it is a not an amount that I am giving you. And this Bill will cover that. Or suppose you are a good rider and I bring you a horse and give it to you to ride. Or suppose I give you five horses for your campaign; it is a contribution to the Republican Party. But is that covered by the Government Bill? No, therefore these are two separate Bills. You see legal knowledge is sometimes very useful. A careful reading will enable you to understand this. Therefore our contention is these are two separate Bills. The Government Bill will not be taken away by this. The Government Bill will remain, only thing is, if this is passed the Government Bill may have to be amended in the light of this. Instead of the word 'amount' you may have to put 'contribution'. So I congratulate Mr. Chitta Basu, unwittingly he has done a very good thing. So let the discussion proceed.

SHRI AKBAR ALI KHAN: Mr. Bhupesh Gupta, my hon. friend does not agree with you.

SHRI CHITTA BASU Not only that point I have got other things also

SHRI AKBAR ALI KHAN In view of more important things you have promised to bring in a new Bill

SHRI CHITTA BASU Just have the patience of listening to me

SHRI K P MALLIKARJUNUDU (Andhra Pradesh) On a point of order, Sir

SHRI ARJUN ARORA (Uttar Pradesh) What is happening in the House?

SHRI BHUPESH GUPTA Nothing is there They are separate wordings Even if one word is different the Bill becomes different

SHRI K P MALLIKARJUNUDU Sir, Mr Chitta Basu stated that his Bill is a different Bill in that the original Act does not cover trust and partnerships, and that his Bill is intended to cover these things That is the main distinction he wanted to make

MR DEPUTY CHAIRMAN I could not follow your point

SHRI K P MALLIKARJUNUDU He said that the Act already amended only deals with donations by companies but that his Bill seeks to include trusts and partnerships as well So, it is a different Bill

MR DEPUTY CHAIRMAN How can partnerships form a part of the Companies Act?

SHRI BHUPESH GUPTA It can form a part of the Companies Act

SHRI K P MALLIKARJUNUDU There is a separate Act, the Partnerships Act, and the Partnerships Act is a different Act, and the Companies Act does not cover it So, if he wants to include trusts, he must bring in a new Bill It cannot be an amendment to the Companies Act It should be in the form of a new Bill where he

can say all these things and include trusts also Unless it is brought in the form of a new Bill I think it is not possible

SHRI CHITTA BASU As a matter of fact, my proposal, even at this stage, is to formulate an amendment in order to cover that For example, I say formulate . . .

SHRI NIRANJAN VARMA On a point of order

SHRI A D MANI On a point of order, Sir Mr Chitta Basu has not completed his sentence when Mr Niranjan Varma is raising a point of order It is not fair

SHRI NIRANJAN VARMA No, no, you are wrong You are not an advocate

SHRI AKBAR ALI KHAN That was an explanation It is not a point of order

श्रीनिरजन वर्मा श्रीमन मेरा एक प्वाइन्ट थाप आर्डर है और वह यह है कि मैं आपका और सदन का ध्यान रख कर आप प्रापजियर की धारा 9 की ओर दिखाना चाहता हूँ क्योंकि श्री चित्तबासु जी ने जो बिल पेश किया है उसमें वे अमेन्डमेंट पेश करना चाहते हैं और अमेन्डमेंट को पेश करने का विषय जाना जाता है उसमें यह है—

"If notice of an amendment has not been given one day before the day on which the Bill is to be considered, any member may object to the moving of the amendment, and such objection shall prevail, unless the Chairman allows the amendment to be moved"

MR DEPUTY CHAIRMAN That is a different thing Amendments can also be allowed by the Chair if the notice is given before the consideration stage comes

SHRI KRISHAN KANT Sir, whether Mr Chitta Basu moves an

amendment, or some body else moves an amendment, or not, this Bill of Mr. Chitta Basu is substantially different from the Bill already passed by Parliament. As my hon. friend, Mr. Bhupesh Gupta, said, here it is "make any contribution" and there it is "make any amount". We have fought the battle in the Supreme Court about compensation, and we are substituting 'amount' for 'contribution'. Here there is the word 'contribution'. And 'contribution' can be in any form, and 'contribution' can be black money also. So, this Bill of Mr. Chitta Basu is quite different from the Bill passed by Parliament. Whether Mr. Chitta Basu moves an amendment or not, that is a different thing; he may move or he may not move. This Bill can be discussed, fully discussed. All points of view will be expressed. Whether the Government accepts them or not is a different matter.

SHRI BHUPESH GUPTA: Now, I am a candidate. Mr. Birla makes an advertisement in his 'Hindustan Times' saying that another party should be supported. It is a contribution, not an amount, a simple thing. English words you can play upon for the sake of one's convenience. Surely, if Birlas advertise that such and such a party should be supported, it is a contribution, not an amount.

Am I to discuss 'contribution' and 'amount'? 'Amount' and 'contribution' are not the same. Who said it? Every amount in this context will be a contribution, but every contribution need not necessarily be an amount. It is simple thing. I do not know how learned men can forget this simple thing. What is the use of giving advice?

SHRI MAHITOSH PURAKAYASTHA (Assam): Mr. Deputy Chairman, Sir, I want to draw your attention to the fact that Mr. Om Mehta, Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs, has come in a peculiar dress. What has happened to him?

SHRI OM MEHTA: I have just donated my blood. A team of doctors

have come. All Members who want to donate blood can go to the Central Hall. The blood will go to the Jawans who are defending our country on eastern and western leaders.

SHRI BHUPESH GUPTA: Blood donation is a contribution. Is it an amount? Suppose you suffer from a shortage of blood, I can contribute my blood to you. I am a company director and I can contribute my blood to you. Is it an amount?

श्री निरंजन वर्मा : श्रीमान्, मैं अपने मित्र का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अभी एमाउन्ट और कंट्रीब्यूशन के बारे में श्री मंदावीर त्यागी जी ने डिजिटलरी के मीनिंग बतलाये थे कि एमाउन्ट में तो कोई भी दान हो जो उस रूप में दी जाय वह आ जाता है। तो इसलिये एमाउन्ट और जो अभी आप ने बताया कंट्रीब्यूशन में कोई अंतर नहीं है।

SHRI CHITTA BASU: There is a substantial difference. As has been pointed out, my Bill deals with contribution. Contribution means anything. Even in the course of my speech I have said that there are other lacunae in the Government's Act. In the course of the discussion we can remove them. As a matter of fact, I propose to move an amendment in my own way. Therefore, there is nothing so as not to allow consideration of my Bill at this stage. Its consideration should be taken up.

SHRI BHUPESH GUPTA: I want to speak on this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: One minute please. The original provision in the Act is wider because it has a penal clause also. If Mr Chitta Basu's Bill is accepted....

SHRI BHUPESH GUPTA: Please, you have not understood me.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is better if I can make you understand what I want to say.

SHRI BHUPESH GUPTA: We want to speak . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is all right. Why are you so impatient?

SHRI BHUPESH GUPTA: We have to go there for the blood donation

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can go and come back. If the House accepts the Bill of Mr. Chitta Basu and if it becomes law, then it would result in substituting the existing section 293A of the Companies Act, which is wider in scope. Of course, as pointed out by Mr. Bhupesh Gupta and others, there is some difference.

SHRI KRISHAN KANT (Haryana): Vital difference.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I cannot say vital difference, but some difference I can say because in the original Act the word used is 'amount' and in the Bill it is 'any contribution'. But substantially it means the same. However, as expressed by hon. Members, if they want to discuss this question, I am giving them an opportunity to discuss it. But it should not be supposed to be a precedent. It is only an exception.

SHRI BHUPESH GUPTA: No. Do not bring in the other thing for the sake of prestige.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down now. In view of the desire of hon. Members to discuss the subject, I am allowing them to continue the discussion.

SHRI CHITTA BASU: As I was mentioning earlier, there is substantial difference between 'amount' and 'contribution'. There is the contribution by CACO to different political parties and individuals. Under the provisions of the Companies Act the Government could take certain penal measures. I do not know on how many occasions on the floor of this House and the other House the question was raised and yet no step has

been taken by the Government to launch a prosecution against the President and the office-bearers of CACO. I want to know as to what steps the Government have taken with regard to giving effect to that measure. These steps they do not take only because certain persons who are very close to them are involved in these things. Government should take appropriate action against those persons who contributed large amounts of money to certain individuals and certain political parties. No action has yet been taken in this regard. Therefore, I want that the Government should take action against them. Also the House should accept this Bill of mine which is far more comprehensive. And if the House accepts it, I think we can do away with the evil of influencing political parties which creates hindrance to the proper functioning of the political parties and to the smooth running of parliamentary democracy in the country.

Sir, I would commend that it should be accepted by the House.

The question was proposed.

श्री शीलभद्र याजी माननीय डिप्टी चेयरमैन महोदय, मे कामरेड चित्त बासु का जो सकल्प है, जो विधेयक है, उसका तहेदिल से समर्थन करता हूँ। कहावत है कि जिसका खाता है उसका गाता है। आज जो पूँजीपति लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, आज हमारे हिन्दुस्तान की राजनैतिक परिस्थिति को दूषित करने के लिये, राजनैतिक नेताओं और राजनैतिक पार्टियों को अपनी तरफ लाने के लिये बग़ावत पैसा देते हैं और यह एक तरफ से ब्राइबरी और ब्रूस हो जाती है। काट्टीबूशन हो या एमाउंट हो, मैं उसकी तह में नहीं जाना चाहता लेकिन माननीय डिप्टी चेयरमैन महोदय, जब कि मैं सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन पेटिशन लड़े रहा था तब सुप्रीम कोर्ट में यह सवाल आया और उन्होंने कहा कि "मनी" नहीं है "एमाउंट" है। बड़े बड़े विशेषज्ञ, यहाँ भी

वैठे हुए हैं, अभी नहीं है, श्री मीतलवाद जी वगैरह थे, उन्होंने बाल की खाल खींचते खींचते एमाउन्ट और मनी की बात खरग कर दी और यह कर दिया कि यह कांटी-ब्रूशन नहीं, यह बराबरी नहीं। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट के एक जो कि वहा कोर्ट में बैठे हुए थे उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट का उल्लेख किया कि कंजरवेटिव पार्टी के एक कैंडिडेट ने लेबर कांस्टीट्यूट में सिर्फ इतना कहा, उस दिन छूट्टी नहीं थी और उन्होंने कहा था:—इफ यू वोट फार मी यू विल नाट बी लूजर, इवेन दिस काइड आफ एंथोरोम कि यू विल नाट बी लूजर को वहां अप्टाचार समझ गया, उन्होंने प्रसन्न समझा गया और वह इलेक्शन जो कि वहा की पार्लियामेंट के लिये, हाउस आफ कामंस के लिये था, उसको रद्द कर दिया गया।

इसलिए यद्यपि हमने यह पास किया है कि कोई भी राजनैतिक पार्टी हो उसको जो भी एक कंपनी है बाजाबता कंपनी है या कन्सर्न है चंदा नहीं दे या रुपया नहीं दे और चित्त बासुजी ने जो उसकी व्याख्या की है, मैं समझता हूं कि हमने उसको पास किया है यह सही है लेकिन वे इसका विस्तार करना चाहते हैं और विस्तार करने में जिस तरह से हमारे प्रस्तावक महोदय ने कहा है कि हम इसका अमेन्डमेंट देकर, संशोधन देकर इसको बढ़ाएंगे और उसका जो एमाउन्ट है उसकी व्याख्या कर देंगे तो जैसा कामरेड भूपेश गुप्त जी ने कहा वह इसकी व्याख्या करेंगे—घड़ी से लेकर, फाउन्टेनपेन से लेकर, छाता से लेकर कोई भी चीज हो—उसको कांटीब्रूशन समझा जाए, इसलिए इसकी विशुद्ध रूप देने के लिए मैं आपसे दखर्वास्त करूंगा कि वे जो अमेन्डमेंट पेश करना चाहते हैं—अभी तो अमेन्डमेंट दरपेश नहीं है—वह पेश हो और उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये जो पूंजीपति हैं बराबर उनकी कोशिश रहेगी जब तक कि पूंजीवाद हिन्दुस्तान में है कि वे राजनैतिक पार्टियों को चंदा देंगे। उसमें मैं एक राजनैतिक पार्टी को नहीं कहता। कहावत है कि बड़ा देवता होता

है तो उसको बड़ा अक्षत चढ़ता है, प्रमादी चढ़ती है और कोई भी पोलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो अपना घर बेच कर, जमींदारी बेच कर पार्टियां चलाती हैं, सब चन्दा लेती है, सब पूंजीपतियों से रुपया ले रहे हैं और मैंने कहा बड़ी पार्टियों को बड़ा एमाउन्ट मिलता है और कोई भी पार्टी वाले लोग जर्मन बेच कर, घर बेच कर पार्टी नहीं चलाते हैं। और जब चन्दा लेकर पार्टी चलाने की बात होती है तो जैसा मैंने शुरू में कहा जिसका गाएगा उसका गाएगा और पूंजीपति सबको पैसा देगा। नतीजा यह होगा कि जैसा मैंने कल भी कहा था इस सदन में उस सदन में हमने समाजवाद की एक व्यवस्था कायम करने का संकल्प लिया है ...

श्री मान सिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश) : मगर आप खाते भी हैं और आंख भी दिखाते हैं।

श्री शील भद्र याजी : कल आपने दिखा दिया, कल आप जनखे बन गए, डिप्टी चेयरमैन महोदय, वर्मा जी की स्पीच हुई कि प्रिवी पर्स के खाते में हक में है लेकिन मौनम सम्मति लक्षणम् हो गई—न्यूटल, जनखे, नपुंसक—वोट करने की हिम्मत नहीं हुई।

श्री नवल किशोर : जनखा का मतलब क्या है ?

श्री शीलभद्र याजी : जनखा का मतलब है नपुंसक। अब जो खाए है तो उंगली चल नहीं रही है जाते-जाने उंगली चली ही नहीं बटन नहीं दबाया। इसलिए मैंने कहा था इज्जत बचाइए इस पर हमारे ऊपर विगड़ गए। मैंने दूसरे मौके में कहा था कि चूक राज्य सभा ने इसको प्रिवी पर्स के मामले को सर्वसम्मति से पास किया था और लोग कह रहे थे कि यह क्या करते हैं राज्य सभा के एमपीज जो पहले प्रस्ताव पास कर चुके फिर बाद में क्यों मुकर गए। तो अदर की बात क्या है मुझे भी पता नहीं, लेकिन मैंने कहा कि जिसका खाते हैं उसका

[श्री शीलमद्र याज]

गाते हैं। इसलिए, जब तक इस हिन्दुस्तान में पूज-वाद रहेगा, भ्रष्टाचार रहेगा, क्योंकि पूजोपति जो है कैपिटलिज्म है, वही भ्रष्टाचार की जननी है माता है।

श्री लीताराम सिंह (बिहार) मैं याजी साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये समाजवाद का नारा तो लगाते हैं, पूजोपति को खत्म करने की बात करते हैं, तो क्या वह कोई निश्चित अवधि बताएंगे कि कब तक पूजोपति खत्म होगा इस देश में ?

श्री शीलमद्र याजी पहले राजनैतिक पार्टियों को चढ़ा देने वाली बात तो सफ हो जाए। कल आपने देखा, 1942 वाले अग्रस्त क्रान्ति के समाजवादी, राजनारायण को देखा, वह राजनारायण भी मर गया, उस राजनारायण को राजे महाराजे पर बड़ी दया आ गई कि उनको कुछ देना चाहिए, उनकी माली हालत को देख कर। यह समाजवाद हिन्दुस्तान में ठीक होगा, लेकिन पहले राजनारायण को ठीक कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वित्त बामु का जो प्रस्ताव है उसको जरूर स्वीकार करना चाहिए। यह स्थिति है कि बड़े-बड़े समाजवादी अपने को कहने वाले यहां कुछ बात करते हैं, बाहर कुछ बात करते हैं। इसी राज्य सभा में हमने प्रस्ताव पास किया था और फिर क्या हुआ, यह आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि फिर हम उससे मुकर गए। इसी राज्य सभा में प्रिवी पर्स की क्या दुर्गति हुई आपको मालूम है। इस सदन में हमने पास किया है कि पोलिटिकल पार्टियों को चढ़ा नहीं देना चाहिए, रुपया नहीं देना चाहिए, लेकिन राजनैतिक दलों के साथ-साथ मैं यह चाहूंगा कि एक व्यक्ति विशेष पर भी, चाहे वह पोलिटिकल पार्टी का नेता हो या कोई हो, इस प्रकार का बैंड लगना चाहिए।

श्रीमन्, इस विधेयक में ठुटिया है और ठुटियों के रहते हुए भी इसकी मशा बहुत साफ है। इसलिए मैं अपनी सरकार से फिर गुजारिश करूंगा कि जो हमने पहिले बिल पान

किया है उसमें और भी सशोधन किये जाय ताकि उसमें इडिबिजुअल, व्यक्ति, नेता सब चीज आ जाय और अगर कोई इधर से, उधर से, नीचे से रुपया देता है तो उसको भी रोका जाना चाहिये और इस तरह की तमाम चीजों के ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए।

लेकिन मैं इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूँ कि आप चाहे हजार बार कम्पनी ऐक्ट में अमेन्डमेंट करे, कुछ भी करे लेकिन सबसे ज्यादा प्रयत्न हमारा यह होना चाहिए, हमारी सरकार का होना चाहिये कि जो कतिपय पोलिटिकल पार्टियों के नेता हैं उन सबका यह कर्तव्य है कि समाजवाद की जो गाड़ी है उसको तीव्रता के साथ आगे ले जाया जाय क्योंकि जब तक इस देश में पूजोपति रहेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चाहे चित्त बामु विधेयक लाये या श्री भूपेश गुप्त विधेयक लाये। आज यहां पर कांग्रेस पार्टी और स्वतन्त्र पार्टी के बारे में यह कहा जाता है कि इन पार्टियों ने सबसे ज्यादा रुपया लिया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो यह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसको मैं रौंग कम्युनिस्ट पार्टी कहता हूँ, उसने भी काफी रुपया पूजोपतियों से लिया है। राइट कम्युनिस्ट पार्टी तो श्री भूपेश गुप्त की है और रौंग कम्युनिस्ट जो सी० पी० एम० कहलाती है वह ज्योति बसु की है और उन्होंने ही बिरला की तारीफ की थी। इसलिये मैं कहना हूँ कि इसमें कोई बचा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वे अपने विधेयक को जरा विशुद्ध रूप से लाये और जितने तरीके से आजकल भ्रष्टाचार, कर्प्शन होता है, उसको रोकने की उसमें व्यवस्था होनी चाहिये।

जो जनता में काम करता है उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि वह इलेक्शन में खर्च करे, लेकिन आपने जिस तरह की इलेक्शन की मशीनरी बना रखी है, उसमें खर्चा होता ही है। यदि उसको अपनी कास्टीट्यूट्स में जाकर इलेक्शन लड़ना होता है राजनीतिक पार्टियों को लड़ना होता है तो बड़े हुए इलेक्शन के खर्च

को देख कर वे पूजपतियों से पैसा लेते हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जो पार्टियाँ समाजवाद की बातें करती हैं, गरीबी दूर करने की बातें करती हैं, उन्हें इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि किसी भी रूप में पूजपतियों ने रुपया इलैक्शन लड़ने के लिए नहीं लेना चाहिये और साथ ही साथ इस चीज में रुकावट आनी चाहिये।

मैं फिर आखिरी में निवेदन करूंगा, सब राजनीतिक पार्टियों से निवेदन करूंगा कि यदि सदा के लिए भ्रष्टाचार को खत्म करना है दूर करना है, तो फौरन से प्सेटर देश में समाजवाद की स्थापना की जाना चाहिये क्योंकि जो भ्रष्टाचार, कर्प्शन की जननी है, वह पूजवाद है और उसको हमें पहिले खत्म करना चाहिये।

इन शब्दों के साथ "जय हिन्द"।

श्री राजनारायण : श्रीमन् मैंने कभी यह नहीं कहा कि जिन राजाओं के पास मीन्स आफ लाइवलीहुड है उनको किसी तरह का जीवन निर्वाह के लिए मुआवजा दिया जाय। मैंने उन्हें एक पाई भी मुआवजा देने की बात नहीं कही। श्री शीलभद्र याजी का तो शील भंग हो गया है और वे ही इस तरह की गलत बातें कहते हैं।

श्री शीलभद्र याजी : कल तुम्हारा अमेन्ड-मेंट क्या था ? रिहैबिलिटेशन का ? पैसा दिया जाय।

श्री राजनारायण : हमने कहा था कि जिस राजा के पास जीवन निर्वाह के लिए साधन है, उसको एक पैसा भी मुआवजा हर्गिज न दिया जाय।

श्री उपसभापति : आप बैठ जाइये।

श्री राजनारायण : और जिनके पास न हो उनके लिए मीन्स आफ लाइवलीहुड का इन्त-जाम किया जाय।

श्री शीलभद्र याजी : कल गोरे जी ने कहा था कि यह हमारी पार्टी का मत नहीं है

और मैं उनके साथ नहीं हूँ। जो पार्टी से ठुकरा दिया गया हो वह इस तरह की जो बात करना है वह बेशर्म है।

श्री राजनारायण : बिल्कुल गलत है और निराधार प्वाइन्ट बोल रहा हूँ। जिम आदमी का शील भंग हो गया।

श्री उपसभापति आप बैठ जाइये।

श्री मान सिंह वर्मा : श्रीमन् मैं आपके द्वारा याजी जी को यह बतलाना चाहता हूँ कि इस सदन में कई बार प्रश्नों के द्वारा इस बात के व्योरे की मांग की गई थी कि किन-किन पार्टी को कितना-कितना चन्दे के रूप में मिला है। वह व्योरा माननार्थ मंत्री जी द्वारा दिया गया और उस व्योरे से यह पता लगा कि कांग्रेस पार्टी को जो रकम दिया गया वह सब से ज्यादा रुपया दिया गया था। तो मैं याजी से पूछना चाहता हूँ कि क्या वे अपनी पार्टी के लिए प्रतिबन्ध लगाने के लिए तैयार हैं। हाथों के दांत दिखाने के अर, और खाने के अर।

श्री शीलभद्र याजी : मैंने स्वीकार किया कि हमारी पार्टी बड़ी है, इसलिए हमारी पार्टी को ज्यादा मिला है, अपनी पार्टी छोटी है इसलिए आपको थोड़ा मिलना है।

श्री राजनारायण : 60 लाख रुपया स्टेट बैंक से निकल कर चला गया, वह कहाँ गया ? 20 करोड़ रुपये के एक ही नम्बर के नोट कहाँ से आये ? यह सब डायमंड कहाँ से आ रहे हैं और किस पार्टी के पास कारखाना खोलने के लिए इतना रकम है ?

श्री शीलभद्र याजी : कल कलई खुल गयी आपकी।

श्री नवल किशोर : उपसभापति जी, यह जो विधेयक श्री चित्त वामु साहब ने पेश किया है, मैं बड़े असमंजस में हूँ कि मैं इसकी मुबालिका करूँ या इसका समर्थन करूँ। जहाँ तक समर्थन का सवाल है, वह तो है ही क्योंकि गवर्नमेंट

[श्री नवल किशोर]

ने आलरेडी इस तरह का ऐक्ट पास कर दिया और दोनों हाउसेज ने उसको पाम कर अपना समर्थन इसको दे दिया है। इसके मायने यह है कि पार्लियामेंट ने जो इसका बुनियादी उसूल है, जो आपका आब्जेक्ट है उसको पहले ही से मान लिया। श्रीमन्, भूपेश गुप्त साहब ने इसमें शक नहीं कि वह बार ऐक्ट ला है और आज पहली दफा उन्होंने अपनी कानूनी प्रतिभा जो उन में है उसको दिखाने की चेष्टा की और कहा कि यह बिल बिलकुल उससे भिन्न है। यह वह नहीं है कि जो गवर्नमेंट ने पास किया है। श्रीमन्, मैं समझता हूँ कि यह केवल क्विलिंग आफ बर्ड्स है, यह बाल की खाल निकालने की बात है। अगर हम उनके स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स को देखें तो उन्होंने उसमें खुद लिखा है कि :

"The provision in the Companies Act, 1956, for making contributions to any political party or for any political purpose to any individual or body has been the subject matter of much criticism. Recent disclosures have shown the extent to which political life can be corrupted by big business Houses. In order to curb this tendency there should be a total ban on making such contributions by the Companies."

श्रीमन्, जैसा कि चित्त बासु साहब ने कहा, वह इस बात पर बहस करना चाहते हैं कि वह जो कानून पास हुआ है, उस कानून का इन्फोर्समेंट, उसका जो कार्यान्वयन है वह सही नहीं हो रहा है और आज भी कंपनीज इस तरह के डोनेशन्स पोलिटिकल पार्टीज को देती हैं। अगर यही उनकी नीयत थी तो जैसा कि श्रीमन् आपने फरमाया उनको एक स्टेटमेंट के जरिये से या कोई एक प्रस्ताव या मोशन पेश करते कि वह इसके इन्फोर्समेंट पर बहस करना चाहते हैं। बहरहाल, मैं इस व्यू का हूँ कि दोनों ऐक्ट सबस्टेंशियली ऐक्ट हैं और यह बिल-कुल रिडेडेट है और सुपरफ्लुअस हैं, लेकिन

फिर भी दो, एक बातें मैं इस के बारे में कहना चाहता हूँ।

मुझे खुशी है कि याजी जी ने आज पहलीदफा एक समझ की बात कही। उन्होंने यह कहा और बड़ी ईमानदारी के साथ कहा, जिस की मुझे उन से उम्मीद नहीं थी, उन्होंने कहा कि कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि चाहे हमारी हो या दूसरी की जिस को पैसा न मिलता हो। इस से ज्यादा ईमानदारी से कोई आदमी कन्फेस कर नहीं सकता था। इन कानून के पास हो जाने से इतना जबर दुरा है कि यह पैसा टैक्स से नहीं आता, अब जो दो नम्बर का पैसा है, जिसको आप कहते हैं ब्लैक-मनी, वह केश में पेमेंट होता है और जैसा याजी जी ने कहा कि जो पार्टी जितनी बड़ी है उसका डोनेशन उतना ही बड़ा होता है। अभी हमारे चुनाव दूर लोक सभा के। मैं जानना चाहता हूँ कि तमाम खर्चा लोक सभा के चुनावों का किसी भी पार्टी का हो, कहा से आया? तो श्रीमन्, यह बात अपनी जगह पर सही है कि जिस नीयत से इस काम को किया गया था वह नीयत पूरी नहीं हुई है। नकद पैसा आता है। हमारे नवाब साहब हस रहे हैं, अकबर अली साहब। वह भी जानते हैं कि कांग्रेस (आर) को पैसा खूब मिलता है, थोड़ा बहुत हम को भी मिल जाता है और भूपेश जी को भी मिल जाता है। तो जहां तक इन्फोर्समेंट की बात है, वह तो अपनी जगह पर कागजी ही मालूम होती है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। बिहार में आपको पता होगा कि अभी गवर्नमेंट ने कुछ कोक कोल माइन्स को अपने हाथ में लिया है। क्या यह सही नहीं है कि कुमार मंगलम् साहब पर बिहार की कांग्रेस (आर) की तरफ से इस बात का दवाव पड़ रहा है कि वह सब कोल माइन्स को नेशनलाइज न करें। उनमें से कुछ

को वे छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? इसके पीछे एक ही बात है कि चूँकि वह कोल माइन्स काग्रेस (आर) को पैसा देती है, इसलिए उन को छोड़ दिया गया।

श्री राजनारायण : यह सूचना गलत है।

श्री नवल किशोर : हो सकता है कि मेरी सूचना गलत हो।

श्री राजनारायण : श्री कुमारमंगलम् ने तो उनको पहले ही खबर कर दी थी।

श्री तन्त्र किशोर : राजनारायण जी मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं, मेरी बात को काट नहीं रहे हैं।

तो मैंने कहा कि इस तरह की बातें भी होती हैं। बड़ी बातें करते हैं नेशनलाइजेशन की। याजी जी को बड़ा दर्द था कि हिन्दुस्तान में समाजवाद तेजी से नहीं आ रहा है। श्रीमन्, अभी तीन संविधान के अमेंडमेंट हुए हैं, चौबीसवा, पच्चीसवा और छब्बीसवां संशोधन दोनों हाउसों से पास हुआ है और एक देश को छोड़ कर सारे हाउस ने उनका समर्थन किया है, चाहे कांग्रेस (आर) हो, चाहे कांग्रेस (ओ) हो, सोशलिस्ट हो, कोई भी हो, यहां तक कि जनसंघ ने भी समर्थन किया है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात में आज भी बड़ा शक है कि इन तीनों कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट के पास होने के बाद भी क्या वाकई हिन्दुस्तान में समाजवाद आयेगा। मेरा तो निवेदन है कि अगर आपकी नीयत इसके लिये होगी तो कोई कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। जो आपने बिड़ला हाउस के लिये 55 लाख रुपये का मुआवजा दिया है, वह किसने दिया है? क्या यह हमने दिया है? मोनोपलीज कमिशन के बाबजूद बिड़ला जी को फर्टिलाइजर्स के लिये जो लाइसेंस दिया गया है वह किसने दिया है? क्या वह हमने दिया है? टाटा माह्व को जो फर्टिलाइजर्स के लिये लाइसेंस दिया गया है वह किसने

दिया है? वह क्या हमने दिया है? तो आप एक तरफ मोनोपलीज कमिशन की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप उन्हीं पूंजीपतियों को लाइसेंस दे रहे हैं। इनका बड़ा अच्छा तरीका है कि उनसे माठ-गांठ भी हो, उनके साथ फ्लर्शन भी हो, हथ मूँ भी करते हैं और उनको गालियां भी देते हैं। तो, श्रीमन्, यह अजीब इनकी गिक्चर है समाजवाद की। बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ है, इंगोरेस का नेशनलाइजेशन हुआ है, लेकिन क्या समाजवाद आया। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि हमने यह तय किया था कि 19 परसेंट शेड्यूल्ड काम्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को नौकरी दे, लेकिन कौनसी ऐसी कांस्टीट्यूशनल दिक्कत थी या सुप्रीम कोर्ट का कौनसा फैसला इसके बीच में बाधक था कि आज आजादी के 24 साल के बाद भी 19 परसेंट तक हरिजनों वगैरह को नौकरी नहीं दे सके। कल हमने कहा कि राइट टू वर्क को फंडामेंटल राइट्स में जोड़ दिया जाय, उसको माना नहीं तो फिर प्रापर्टी राइट लेने का आपका मंशा क्या है? मंशा तो एक ही है कि हम ऐसे समाज की स्थापना करें जिसमें ये सब बातें हों। लेकिन मेरा कहना है कि यह नारेबाजी से समाजवाद नहीं आयेगा, न उसको याजी जी ला पायेंगे और न कोई ला पायेगा। जहां तक समाजवाद की स्थापना का सम्बन्ध है इसमें कोई दो राय नहीं हैं, समाजवाद की स्थापना करने के लिये आप जितने भी अमेंडमेंट करना चाहे हम आपका साथ देंगे, लेकिन समाजवाद आये तो फिर एक नारेबाजी होती है।

श्रीमन्, मैं इनमें ज्यादा समय नहीं लूंगा। दीक्षित साहब ने कहा कि हमें कोई बताये कि किसने पैसा लिया गया है, तो हम एकशन लेते। बड़ी मुश्किल है, चोर यह कहें कि चोर को पकड़ो, बताओ तो फिर किसको पकड़ा जाय। दीक्षित

[श्री नवल किशोर]

जी से ज्यादा कीमत जानता है कि किस-किस कम्पनी ने कितना-कितना पैसा उनको पार्टी को मिला, दूसरी पार्टी का पता हो या न पता है, अपने ताल्लु है और वह हमसे कहता है कि हम उनको बताएं। कोई चेक का पेमेंट तो है नहीं कि हाँ उका बताये। कैश पेमेंट होता है। तो इस तरह से दलील देना कि हमको बताया जा रहा है, ठीक नहीं। क्या बताये। हमारे दीक्षित जी कांग्रेस कीपर है, कांग्रेस (अर) के। हर काम अच्छा या बुरा उनकी मर्फत होता है तो हम उनको क्या बताये। एक ही तरीका बना सकते हैं कि हम पार्टी के लीडर ईमानदारी के साथ इस बात पर काम करें कि वह कम्पनी से पैसा न ले तब तो यह जो अपना एकर है यह जो श्री चित्त बास की मशा है, वह पूरी होने वाली है वरना यह पोलिटिकल हिफ़्टेन है हिन्दुस्तान में और यह हमेशा चलती रहेगी।

श्री मन्, चित्त बास की नीयत का जह तक ताल्लुक है, इसमें कोई दो राय नहीं है जैसा कि मैंने कहा कि गवर्नमेन्ट ने श्री दोनों हाउसेज ने ऐसा एक्ट पास कर दिया है और जैसा कि आपने फर्मिया वह एक बड़ा वाडर दिल है उसमें पेनाल्टी क्लोज भी है, लेकिन यह सब होते हुए भी सरकार कम पाटिया का चल रहा है चहे वह कोई हो। तो और ज्यादा न कहें कि मे इतना ही दरखवास्त करूँ कि श्री चित्त बास इसकी वापस ले और हाउस में दूसरा बिल लाये, उस पर बहस हो तो ज्यादा अच्छा है।

डॉ० भ.ई. महाधर उपमभाषित
महोदय, श्री चित्त बास ने जो बिल पदन के सामने प्रस्तुत किया है उसकी मशा के सम्बन्ध में कोई दो मत नहीं हो सकते। इस सदन में या इस सदन के बाहर शापद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो यह कहता हो कि

इन देश की राजनीति में से रुपये के कारण जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, उसको निकाल नहीं जाना चाहिए। यह मन्तव्य, यह उद्देश्य तो ऐसा है कि जिनके बारे में कुछ न कहते हुए भी सब के सामने सत है सब के लिये स्वीकार योग्य है।

महोदय, मैं इस बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता कि सरकार ने जो बिल पास किया है, जो ऐक्ट बनाया है, उसको कुछ ज्यादा व्यापक बनाने के लिए श्री चित्त बास ने यह बिल प्रस्तुत किया है या 'पीपल क्लोजेज' न होने के कारण उसकी व्यापकता कम हो जाएगी? परन्तु, महोदय, अगर सचमुच में हम उसको ज्यादा व्यापक बनाना चाहते हैं, यदि श्री चित्त बास इन का दायरा इतना बड़ा करना चाहते हैं कि किसी भी तीर में, जो औद्योगिक संस्थान है—उनका पैसा राजनैतिक जीवन में आकर उनको प्रभावित करने की कोशिश न कर सके तो मैं समझता हूँ यह बड़ा स्वागत के योग्य प्रयत्न होगा। तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि दो तर्क पहलू हैं जिनमें अन्त में रखे वगैरह इस उद्देश्य को हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

सत्तारूढ़ दल के जहाँ अधिवेशन होते हैं, वहाँ पर सेवेनरी के तीर पर कुछ ब्रोथ्योर प्रकाशित किए जाते हैं, कुछ यूथ कांग्रेस के नाम पर या किसी और दल के नाम पर। और दल भी प्रकाशित करते हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल जो प्रकाशित करता है उसमें अन्दर मार्क्सजिनिक उद्योगों और मन्थन के निष्पन्न मिलते हैं, जिनमें से एक-एक विज्ञापन में हजारों रुपये दिए जाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ यह 'कार्टून्स' माना जाएगा या नहीं, क्या यह कांग्रेस के फंड को दो गई सहायता मानो जायेगी? अगर यह कार्टून्स माना है तो फिर कहना पड़ेगा कि सत्तारूढ़ दल जो कि सरकार में विराजमान है, अगर

सरकारी संस्थानों से इस तरह से विज्ञापन के रूप में सहायता लेता है, तो वह एक तरह का टैक्स है जो लोगों के ऊपर, सरकार पद पर आसीन होने के कारण वसूल किया जा रहा है, और उससे पार्टी का लाभ लिया जा रहा है। तो सबसे पहले, अगर सचमुच हम इस हक में हैं कि जब सरकार ने एक बिल लाया था और सत्ताधारी पार्टी ने इसके पास करवाया था कि कोई कम्पनी, किसी राज-नैतिक दल को धन न दे, तो मैं चाहता हूँ सरकार इसका उदाहरण स्थापित करे। कम से कम सार्वजनिक उद्योग इस तरह के प्रथमो - विज्ञापन के रूप में कोई सहायता न दे। अगर सत्ताधारी दल पहले यह करेगा तभी निजी उद्योगों के ऊपर बंशित लगाने की बात पैदा हो सकेगी।

अभी तक, महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि ऊपर ऊपर से हम इस बात को भरे ही कितना चाहते, भले हों इसके बारे में निर्णय अपनी अस्था प्रकट करें लेकिन सच में हमारे व्यवहार के द्वारा राजनैतिक जीवन में से पैसे का दुप्रभाव निश्चित की कोशिश नहीं होती। वास्तव में तो ऐसी परिस्थिति पैदा की जाती है, ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं, जिनसे से वह प्रभाव बढ़ता है और कम होने का कोई आसार अभी तक नहीं दिखायी देता। इस बात के दो तीन लक्षण मैं आपके सामने रखना चाहता।

हमारे पिछले भव में यहाँ पर वस्त्र उद्योग के बारे में चर्चा के दौरान हमारे विदेश व्यापार मंत्री ने कहा कि जो कन्ट्रोल कदम है उसके बारे में मिलें सहयोग नहीं करतीं हालांकि सरकार उन पर इस सम्बन्ध में बढिश्त लगाती है। उस समय मैंने एक मुझव दिया था। सबको मालूम है कि जो कन्ट्रोल कदम बनता है, उस कपड़े का गलत तरीके से बिक्रय होता है। सिर्फ ऊपर के आधे मीटर के टुकड़े पर कीमत लगी रहती है, नीचे वही कीमत अकित नहीं होती दुकानदार वह अधा मीटर का टुकड़ा अलग रख कर बाकी मन-

मानी कीमत पर बेच देता है इसलिए मैंने कहा था कि क्या सरकार यह नहीं कर सकती कि जैसे मिल का नाम हर मीटर के ऊपर लिखा जाता है वैसे ही उसके ऊपर कन्ट्रोल कपड़े का और गति हो सके तो उसकी कीमत भी अकित कर दी जाए ताकि खर देने वाले व्यक्ति को वह भीमन दिखायी दे जाए और वह उसमें ज्यादा पैसा न दे। मंत्री जी ने अभी कहा कि यह बहुत अच्छा सुझाव है।

12 Noon

परन्तु कई महीने बीतने के बाद भी आज तक सरकार ने इन सम्बन्ध में क्या किया है यह किसी को मालूम नहीं। इन अधिवेशन में एक सवाल के जवाब में जो विदेश व्यापार मंत्री जी ने यह सुझा दिया तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ यह सुझाव दिया गया था और हम इस पर विचार कर रहे हैं। इस तरह की बात पर विचार करने में जब महीने लगाए लग जाते हैं, तो उसका सीधा सधा यहाँ निष्कर्ष निकलता है कि सरकार यह बात चाहती ही नहीं कि इस तरह की स्थिति पैदा की जाए जिससे द्वारा कंट्रोल का कपड़ा हर व्यक्ति को कंट्रोल की कीमत पर मिल सके और हर दुकानदार को ठीक कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया जा सके। अर्थात् सरकार इस तरह की स्थिति पैदा नहीं करना चाहती है जिसके द्वारा दुकानदार ठीक कीमत पर कपड़ा बेचने को विवश हो। मिलों में जो कपड़ा बनता है वह थोक व्यापारियों व एजेंटों को सन्ने भाव पर मिलता है पर बाजार में वही जनता को ज्यादा भाव पर बेचा जाता है जो भी व्यक्ति एनाटेड गैठ मिलों से ले सकता है वह फिर सम्मानित ढंग में सपना कमाता है। टैक्सटाइल कंट्रोल को खत्म करने के लिए साधन चाहिए बस। मिल वालों के पास अगर इस प्रकार के टैक्सटाइल कंट्रोल को खूण करने के साधन हैं तो वे मनमाने ढंग से वह कपड़ा बेच सकते हैं। और इन गाँठों के व्यापारी मिलों में उठना-

[डा० भाई महावीर]

कर ले जाते हैं और फिर उनमें मनमाने ढंग से नफ़ा कमाते हैं।

महोदय, अगर यह सरकार सचमूच ईमानदारी की नीयत से इसमें सुधार करना चाहती है तो जो मुझाव दिया गया था उसको तुरन्त मान लेना चाहिए था। मैं यह दावा नहीं करता कि सरकार को यह कभी मुझाव नहीं मुझा होगा। या किसी ने न दिया हो। हो सकता है इस तरह का मुझाव उल्लि भी किसी से आया हो, लेकिन मान पर माल ब्रोतते चले जाते हैं और सरकार कुछ नहीं कर पाती। यह मुझाव जो दिये जाते हैं वे आखिर किस लिए दिये जाते हैं? सरकार के ऊपर इस तरह के मुझावों को पूरा करने का दायित्व नहीं है?

एक और उदाहरण लीजिए पिछले दिनों यहाँ पर विदेश व्यापार मंत्री के सामने यह सवाल उठाया गया था कि रेयन् और नाइलोन फैब्रिक की कीमत के बारे में टैरिफ कमिशन की रिपोर्ट का क्या हुआ? क्यों सरकार दो सालों से उस रिपोर्ट के ऊपर पालथी मारे बैठी हुई है और रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया जा रहा है? इस पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि सरकार इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने को तैयार है। परन्तु यदि सरकार आज उस रिपोर्ट को मजूर करती है जो कि दो साल पहले की रिपोर्ट है। तो हो सकता है कि आज कारखाने वालों को—किसी उत्पादकों को उसके कारण कष्ट हो।

महोदय, प्रश्न यह है कि यह स्थिति क्यों पैदा हुई? दो साल तक रिपोर्ट को क्यों दबाये रखा गया? आज सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि कारखाने वाले उस रिपोर्ट के सम्बन्ध में जो दो साल पहिले तैयार की गई थी आति करते हैं और कहते हैं कि उतने पुराने खर्चों के आधार पर बनी रिपोर्ट को क्यों लागू करते हो। उस दिन विदेश व्यापार मंत्री जी ने यहाँ पर कहा था कि मैंने मिल वालों से कहा है कि वे कोई वालटेरी एग्रीमेंट (स्वैच्छिक

समझौता) कर लें तो बड़ा अच्छा होगा। जिस दिन यह बात उन्होंने यहाँ पर कही उसी दिन यह बात अखबारों में छप गई और महोदय, हमारे पास छोटे छोटे वीवम (बुनकरों) के तार और चिट्ठियाँ आई कि यह कहने का मतलब क्या है? क्या वालियेट्री एग्रीमेंट के नाम पर समय देने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे सिर के ऊपर सरकार ने एक तलवार लटका कर रख दी है कि अगर तुम हमें खुश कर दोगे तो तुम्हारी मन्शा पूरी कर दोगे और अगर तुम हम को खुश नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ फ़ैसला हो जायेगा। यह तरीका क्या राजनीति के अन्दर पैस के अछटाचार को दूर करने का है? महोदय, दो साल हो गये हैं, सरकार टैरिफ कमिशन की रिपोर्ट को लेकर बैठी रही। यहाँ पर हमारे मित्र श्री अर्जुन अरीडा बैठे हैं और श्री कृष्ण कान्त ने और हम सब लोगों ने पिछले साल सदन में जोर से मांग की थी कि टैरिफ कमिशन की रिपोर्ट को लागू किया जाय। बड़ी मुश्किल से हम मंत्री जी से यह आश्वासन निकाल सके कि इस सदन के इस अधिवेशन को समाप्ति के पहिले निर्णय कर दिया जायेगा। आज एक साल से ज्यादा इस बात को हो गया है और बात वही की वही है। आज भी वह तलवार लटकी हुई है और उस तलवार की धार के बल पर जो कुछ सरकार वसूलना चाहती है वसूल रही है। हमें संदेह ही नहीं है हमारे पास बल्कि इस बात के आधार हैं कि किस कारण से यह तलवार उद्योगपतियों पर सरकार लटकाये रखना चाहती है। इसका कारण साफ है कि सरकार उन लोगों से पैसा वसूल करना चाहती है पार्टी के लिए।

महोदय, सामने से देना तो बंद कर दिया गया है लेकिन जो मेज के नीचे से देने का तरीका है ड्रावर में रखकर भेंट करने का तरीका है और भी जितने सारे तरीके हैं वे काम में लाए जा रहे हैं और सत्ताधारी दल यह नहीं कह सकता है कि वह

दूध का धोया हुआ है। मैं इन गारे में अनेक उदाहरण दे सकता हूँ।

श्री अर्जुन अराड़ा: दूध का नहाया हुआ।

डा० भाई महाबोर : कानपुर में दूध में नहाने की प्रथा होगी। खैर अखबारों में इस प्रकार के वृत्तान्त निकले हैं जहाँ पर स्वयं प्रधान मंत्री के सामने बैठे हुए एक सदस्य ने खड़े होकर (जहाँ तक मुझे याद है पिछले चुनाव में अहमदाबाद में ऐसी घटना हुई थी) नोटों का पुलन्दा फेंकते हुए कहा कि "यह रुपया मुझे खरीदने के लिए दिया गया है और मैं यह रुपया स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ।" मैं अपनी आत्मा बेच नहीं सकता हूँ मैं कोई पिकाऊ माल नहीं हूँ। यह घटना स्वयं प्रधान मंत्री के सामने हो चुकी है और सत्ताधारी दल के ऊपर इस तरह के आक्षेप खुले आम लगाये जा चुके हैं। तो इस तरह की आशा नहीं की जा सकती कि हम काफी कानून बना देंगे और उसके बाद सब ठीक ठाक हो जायेगा। आप के कानून बनाने के बाद भी बकायदा रूप से रुपया दिया जा रहा है और रुपया दिया जाता रहेगा। और जो दूसरे तरीके से देगे वे आप से ज्यादा सहूलियतें लेंगे—इस तरह की सुविधायें लेंगे जिनसे साधारण जनता को लूट कर उससे कई गुना ज्यादा रुपया वे वसूल कर सकें। महोदय, चुनाव के दिनों में स्टील इस तरह से एलाट किया गया मैं ऐसे नाम जानता हूँ यहाँ मैं कोई नाम नहीं लूँगा लेकिन अगर किसी उम्मीदवार को सहायता देने का और कोई तरीका नहीं मिला तो उसको स्टील का कोटा दे दिया गया। जिस स्टील पर एक हजार बारह सौ रुपये टन का मुनाफा है उस के अगर दस बीस या पचास टन स्टील उस को मिल जाता है तो वह उस मुनाफे से वह अपने चुनाव का काम चला सकता है। मैं पूछना चाहूँगा कि क्या सरकार इन सारी बातों के बारे में इस तरह की पद्धति अपनावेगा, इस तरह की व्यवस्था करेगी कि जिस में

ऐसे आरोप लगने की गुंजायश न रहे इस तरह की संभावनायें समाप्त कर दी जायें! इन के लिए सब से जरूरी बात यह है कि इम्पोर्ट लाइसेंस और दूसरे लाइसेंस के लिए एक साफ निरपेक्ष नीति अपनायी जाय। इम्पोर्ट लाइसेंस की प्रणाली ही बात मैंने कई बार सदन में कही है। आज सरकार जो इम्पोर्ट लाइसेंस देती है उनमें एक लाख के लाइसेंस पर दो तीन लाख का मुनाफा होता है। एक अरसे से हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो मुनाफा कुछ लोगों की जेबों में जाता है वह सरकार ले। आज जो 'अल्टीमेट परचेजर' है जो इस मास का वास्तविक उद्योगकार अर्थात् मैन्यूफैक्चरर है उसे तो कभी माल आयात की कीमत पर नहीं मिलना उमे ज्यादा कीमत देनी पड़ती है लेकिन जो यह बिचौलिया है जिस का गुण केवल इतना है कि वह कुछ विशेष लोगों का किसी न किसी तरीके से कृपा पात्र बन चुका है, ऐसे लोगों को बीच से निकाल कर जो ल इनेन को बाजार में जो वास्तविक कीमत है उस कीमत पर आप लाइसेंस जारी कोजिए और अगर इस में कोई कठिनाई है तो जो लाइसेंसज हैं उन को आप सीधे रीत्रे नीचाम कोजिए जो खरीद सकता है वह खरीदे। इस तरह से जो नफा होगा वह सरकार को मिलेगा सच तो यह है कि अगर यह नफा सरकार को मिलने लगे तो बहुत से टैक्सज, बहुत से प्रोड और रिस्त्रिजं रिलीफ के लिए डाले गए नए भार उन सब को हम दूर कर सकते हैं और साधारण आदमी के ऊपर करों का जो कमरनोड़ शोष आज पड़ा हुआ है उसको भी हम कम कर सकते हैं। इस दृष्टि से हमने इम्पोर्ट लाइसेंसज के 'प्रापर प्राइसिंग' की बात उठायी। उन का मामला तय करने की बात जब भी हम कहते हैं तो सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है कि सरकार तो सारे इम्पोर्ट को अपने हाथ में ले रही है। उसका 70, 80 प्रतिशत सरकार अपने हाथ में ले चुकी है और बाकी को भी अपने हाथ में ले रही

[डा० भाई महावीर]

हैं। हमारा कहना है कि सरकार हर काम को अपने हाथ में ले कर यदि ठीक से चला सकती तो शायद हम को उस में कोई आपत्ति न हो लेकिन एक इस में व्यावहारिक कठिनाई

। सरकार को हर काम को ठीक तरह से चलाने के लिए जो कुशलता चाहिए, जो कार्य क्षमता चाहिए, जो निपुणता 'स्थिर' चाहिए वह उस के अंदर नहीं है। परिणाम यह होता है कि जो-जो काम सरकार द्वारा लिये जाते हैं उन के अंदर गड़बड़ें होती हैं और राष्ट्र की हानि होती है। इस के अलावा सरकार को अपने हाथ में सारे अधिकार लेने का एक परिणाम यह भी होता है कि जो उस के विशेष कृपापात्र लोग हैं, जो कुछ फ़ैवरिट्स हैं उनको काम मिल जाता है उनको लाइसेंस दिये जाते हैं। ऐसे लाइसेंसों के अंदर—उस के नफ़े में कुछ लोग अपना हिस्सा भी रख सकते हैं। अगर कोई कहे कि उस में पार्टी का हिस्सा भी रह सकता है तो ऐसा सोचने में क्या गलती होगी। जहाँ जहाँ भी सरकार ऐसे फ़ैसले करती है उस पद्धति के बारे में सरकार को खूब अच्छी तरह से सोचना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है सीजर्स वाइफ मस्ट बी एवब सस्पेंशन। सीजर की बीवी के सदेह से परे होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए कि जिम में किसी को उस पर अगुली उठाने की संभावना भी न रहे।

एक उदाहरण लीजिए। अभी गुडगावा के पास 304 एकड़ जमीन अधिग्रहण 'एक्वायर' की गयी है। सरकार ने वह जमीन इंडस्ट्री के लिए ली, लेकिन नैड का जो जोनल प्लान है उस भूमि के उपयोग की जो मूल योजना है क्या उस के अंदर वहाँ पर उद्योग लगाये जाने की व्यवस्था थी। जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ पर उद्योग लगाने की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन, वह जमीन एक्वायर की गयी। तब भी समझ में आ सकता है अगर 'पब्लिक परपज' के लिए वह जमीन एक्वायर की जाय। कोई भी सरकार हो, उस को समय-समय पर ऐसा

करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ 'पब्लिक परपज' कौन सा है। अधिग्रहण करके एक प्राइवेट पार्टी को वह जमीन दे देना। पब्लिक परपज की यह परिभाषा अगर हमारी सरकार करती है तो . .

अः अर्जुन अराड़ा किस काम के लिए दी जाय।

डा० भाई महावीर जिस काम के लिए दी जाय वहाँ काम नहीं, जिस व्यक्ति के लिये लेकर दी जाए वह व्यक्ति कौन है। सारी बातें उसी में आ जाती हैं। अगर एक व्यक्ति के लिए चाहे वह व्यक्ति प्रधान मंत्री का बेटा हो चाहे किसी और मंत्री का भतीजा हो उस के लिए नियमों को तोड़ कर काम किया जाता है जो नार्म्स बनाये गये हैं, जो सामान्य सिद्धान्त हैं उनको कर उनकी हत्या कर के भूमि का अधिग्रहण किया जाता है और वह भूमि एक निजी पार्टी, को दे दी जाती है। मैं जानना चाहता हूँ सरकारी प्रवक्ता बताये कि आज तक कितने मौकों पर इस तरह से सरकार ने भूमि 'एक्वायर' कर के किसी निजी पार्टी को दी है। अगर आज तक किसी निजी पार्टी को नहीं दी गई तो अब कौन सा नया युग पैदा हो गया है कौन सी नई आवश्यकता हो गई है कि एक व्यक्ति के लिये सरकार को सारे नियमों को छोड़ कर के एक नई परम्परा स्थापित करनी पड़ी, महोदय, प्रश्न यह है कि अगर पहले ऐसा नहीं किया गया तो यहाँ सरकार ने क्यों किया। समाजवाद लाने के लिये? क्या सजय गांधी जो कारखाना बनायेंगे वह सारे समाजवादी लोगों के सहयोग से बन रहा है? जो दिल्ली के सब से बड़े उद्योगपति हैं उनको उसके अन्दर डाइरेक्टर बना कर रखा गया है। और इस प्रकार हम एक तरफ तो उन उद्योगपतियों को गाली दे धमकी भी दें और दूसरी तरफ घर के अन्दर चुपके से बुला कर उनको कहे कि आपका इसने सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। महोदय, यह सब सरकारी दल

जब करता है तो प्रश्न यह उठता है कि एक तरफ आप इस तरह राजनीति के अन्दर कुछ रास्ते खोल रहे हैं, कुछ कन्वेन्शन्स बना रहे हैं और उसके साथ ही कानून की भाषा में आप यह कहते हैं कि कोई उद्योग, कोई फर्म कोई इंडस्ट्री राजनैतिक दल को पैसा नहीं दे सकता। महोदय, मेरा निवेदन है कि यह सरकार और सरकार की दल ज्यादा ईमानदारी से अपने काम को करें और इसके लिये इस तरह के जो लूपहोल्स हैं उन सब लूपहोल्स को बन्द करे। जहाँ जहाँ पर पैसा खर्च कर के सार्वजनिक जीवन को भ्रष्ट किया जाता है वहाँ वहाँ सारे रास्ते को बन्द कर के उसको रोकने का प्रयत्न किया जाय। श्री चित्त दासु की जो भावना है वह यही है। इस के लिए सभी दलों पर बहुत जिम्मेदारी आती है। याजी जी साहब बहुत जोर से शोर कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे। परन्तु यह सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है कि इस बिल की भावना को ठीक प्रकार से निभाने के लिये जो जो कदम जिस जिस क्षेत्र में उठाना आवश्यक है उनको उठाये।

महोदय, एक बात कह कर मैं समाप्त करूँगा। बहुत दिनों से हमारी राजनीति को बिगाड़ने वाला जो एक रिवाज चला है जिसको दल-बदल—‘डिफेंशस’—कहते हैं, चव्हाण साहब ने इसे बड़ा रोचक और अलंकारिक नाम दिया था—आया राम गया राम, यह नाम इतना पुराना हो चुका है कि हर व्यक्ति इससे परिचित है। परन्तु महोदय सरकार को पता है . . .

SHRI BHUPESH GUPTA: Mr. Chavan is the wholeseller in *Aya Rams* and *Gaya Rams*. Last year he was the seller of *Gaya Rams* and this year he is the wholeseller of *Aya Rams*.

SHRI NAWAL KISHORE: He is the wholesale purchaser.

डा० भाई महावीर : श्री भूपेश गुप्त ने चव्हाण साहब को एक बड़ा ‘काम्प्लीमेंट’

पेश किया है मुझे आशा है कि वह इस काम्प्लीमेंट को ‘रेलिश’ करेंगे परन्तु मैं कहना यह चाहता हूँ कि सरकार ने जो एक कमेटी बनाई थी दलबदल के खिलाफ, उस कमेटी की रिपोर्ट आगे काफी देर हो गई है उस रिपोर्ट पर धूल की काफी गहरी पर्त जम चुकी है लेकिन सरकार अभी भी सोच रही है डिफेंशस के बारे में ‘विचार’ कर रही है।

SHRI AKBAR ALI KHAN: There was a Bill. Your representative was also there, but it was not agreed.

डा० भाई महावीर : महोदय, नवाब साहब की जानकारी के लिये मैं यह कह दूँ कि सरकार ने बहुत काम इस देश में किये हैं जिसके लिये वाकियों की रजामन्दी की राह नहीं देखी। सरकार ने करीब तैरह आर्डिनेंस दो सेशनो के मध्य में जारी किये और उन आर्डिनेंसों में दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को लेने का आर्डिनेंस भी था, विश्वभारती का भी आर्डिनेंस था, स्टाम्प ड्यूटीज के बारे में भी आर्डिनेंस था, तो महोदय, अगर सरकार को ये काम इतने ज़रूरी मालूम होने हैं कि जिनके लिये आर्डिनेंस जारी किया जा सके तो कम से कम इस देश के सार्वजनिक जीवन में जहाँ घोलने वाली इस दल-दल की बीमारी का रोकना भी ज़रूरी था। मैं समझता हूँ सरकार का सब से पहला काम होना चाहिये जिसके लिये कि आर्डिनेंस भी जारी किया जा सकता था। लेकिन सरकार को ऐसा आर्डिनेंस जारी करने की ज़रूरत नहीं मालूम पड़ी क्योंकि नवाब साहब के कहने के मुताबिक बिल आया था और उसमें “मतभेद” था। हमारी सरकार को मतभेदों के दूर होने का इंतज़ार करने की ज़रूरत कब से पैदा हुई? मतभेद का इंतज़ार करने की ज़रूरत सरकार को आज कहां है दूसरे किसी आगे काम के लिए इंतज़ार नहीं किया जा सकता था तो इसके लिए क्यों इंतज़ार किया जा रहा है? और जो बिल आया था, उसके बारे में भी कह दूँ कि हमारे

[डा० भाई महावीर]

दल का और कुछ अन्य विरोधी दलों का मत यह था कि यह बिल और कठोर किया जाए, उसको ज्यादा सख्त बनाया जाए वह कमजोर है और दलबदल को रोकने के लिए जितना तीव्र होना चाहिए वह उतना तीखा नहीं है। हम चाहेगे इसके बारे में सरकार जल्दी कदम उठाए।

दुर्भाग्य की बात है अभी राज्यपालों की समिति की जो रिपोर्ट प्रकाश में आई थी उसमें भी इस सवाल के ऊपर एक तरह से ठंडा पानी डाला गया है और ऐसा नहीं दिखाया देता कि सरकार इस काम को करने के लिए कोई दृढ़ विचार, दृढ़ निश्चय रखती है। परिणाम यह है कि सारे देश में यह भावना फैल रही है कि सरकार तब तक इस स्थिति को रोकना नहीं चाहती जब तक आया राम गया राम का प्रवाह सरकारी दल की ओर चल रहा है।

SHRI BHUPESH GUPTA: At the moment we are not concerned with Aya Rams and Gaya Rams, at the moment we are concerned with Jagjivan Ram

डा० भाई महावीर : जगजीवन राम के सबंध में कोई मतभेद नहीं है, महोदय। उनके बारे में, देश की सेनाओं के बारे में, देश पर आए हुए सकट के सबंध में, एकता के निश्चय के बारे में, न श्री भूपेश गुप्त की बात पर कोई दो मत होंगे न ही मैं समझता हूँ उनसे पीछे कोई और रहेगा हम तो किसी भी हानत में पीछे नहीं रहेंगे जहाँ राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की रक्षा का सवाल आता है। परन्तु जब सदन में इस तरह के विषयों की चर्चा होती है तो स्वाभाविक रूप से इस चर्चा के बारे में हमें कहना पड़ता है कि अगर बाकी जीवन सामान्य चल रहा है तो सरकार इन एक वान की ओर दुर्लक्ष्य करने की जरूरत क्यों समझती है? सरकार इसके बारे में एक निश्चय करे। महोदय, राज्यपाल

किस अवस्था में मिनिस्ट्री को भग कर सकता है किस अवस्था में नहीं—इस सबंध में भी जब प्रश्न उठा तो कहा गया कि कोई निदेशक सिद्धान्त कोई गाइडलाइन्स नहीं बनाई जा सकती। परिणाम यह होगा कि राज्यपालों के ऊपर हमेशा सदेह होगा उनके ऊपर उठाली उठाई जाएगी। एक जगह 20 दिन पहले असेम्बली का अधिवेशन नहीं बुलाया गया इसलिए मन्त्रीमंडल को बर्खास्त किया दूसरी जगह असेम्बली अधिवेशन कल होने वाला है इस बात की चिंता न करते हुए उस मिनिस्ट्री को बर्खास्त किया—इस प्रकार के जो अलग अलग मापदंड हैं स्टैंडर्ड्स हैं—डबल नहीं ट्रिपल स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं कई बार। यह स्थिति कोई अच्छी नहीं है सरकार को इसमें भी स्पष्ट साफ और बिलकुल बुनियादी तौर से ठीक गाइडलाइन्स बनानी चाहिए। यह अफसोस की बात है कि पिछले राज्यपालों के सम्मेलन में इस बारे में कोई निश्चय नहीं हुआ।

इसलिए महोदय जहाँ पर मैं इस बिल की सारी भावना का स्वागत करता हूँ, पूरा समर्थन करता हूँ वहाँ पर मैं इस सदन से और सरकारी पक्ष के सामने विशेष रूप से आग्रह पूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि हम अपने आप को केवल धोखा देने की कोशिश न करें। दुनिया में बाकी सब को धोका दिया जा सकता है अपने आप को नहीं। सरकारी दल कम से कम अपने आप को धोका न दे और समझ ले कि ऐसे बहुत से डाक्युमेन्ट आपके सामने रख दिए जाएंगे जिनमें कागज के ऊपर बेईमानी नहीं हुई है। लेकिन उनके नीचे इतना भ्रष्टाचार छिपा होगा, इतना भाई भतीजावाद छिपा होगा, इतना उसके भीतर गलत कामों का अबार छिपा रहेगा कि वास्तव में उसको देख कर कोई भी सरकार चैन से बैठे, यह लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं, अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस बिल की भावना को निभाने के लिए जैसी नीतियों का निर्धारण करना

चाहिए सरकार वैसी नीतियों को लागू करे। इसलिए अपनी इस टिप्पणी के साथ मैं इस दल का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि न केवल पोलिटिकल पार्टियों को दिए जाने वाले दान के संबंध में दलिक बाकी सभी नीतियों के संबंध में भी सरकारी दल वह नियम करेगा जिससे इस देश के अंदर भ्रष्टाचार समाप्त हो सके और हम एक स्वच्छ सार्वजनिक, राजनैतिक परम्परा का प्रारंभ कर सकें। धन्यवाद।

SHRI BHUPESH GUPTA: There was some misunderstanding. When the original Bill was moved by Mr. Chitta Basu we were under the impression that that Bill would restrict the Bill already passed. On the contrary if Mr. Basu's Bill is to be accepted, the original one would be strengthened and broadened. It was pointed out to me by the Deputy Chairman in one of his unguarded moments that the Government amendment contained a penal provision and therefore it was wider. Mr. Basu's Bill, if it is passed, would not delete the Government amendment. That remains. Therefore Mr. Basu's Bill does not contain any suggestions to delete the amendment with regard to the Penal Code. That remains, Mr. Basu's Bill only broadens the scope of what is called 'contribution'. That is all. Therefore if Mr. Basu's Bill is passed it would be contribution plus what remains in the original amendment with regard to the Penal Code. An impression was sought to be created as if Mr. Basu's Bill would take away the provision with regard to the Penal clause. Not at all. Therefore it was entirely wrong. I do not know why these are not understood. Mr. Basu's Bill is not amending what has already been passed. Now, Sir, I am confining myself to this Bill. In 1959 in this House I moved a Bill of this kind and at that time the late Lal Bahadur Shastri was the Minister of Commerce. He spoke against my amendment and the amendment was lost. He, I

remember, said that the Congress Party would take money from the rich man and the poor man, from the industrialist and the worker. In fact it so happened that the money came mostly from the industrialists so much so that the Congress Party was obliged later on to amend the Companies Act to which reference has been made banning amounts to be paid to the political parties and so on. The Government Bill was brought in 1969 whereas my Bill was in 1959. My Bill was rejected on account of opposition by the Government and the late Lal Bahadur Shastri but the same thing was accepted in 1969. Generally I have found it takes the Government ten years to understand what we say and to accept what we suggest. Now the pace is a little quicker I agree. Mr. Chitta Basu's Bill says all contributions should be stopped. Contribution is a wider term. Now-a-days they not only pay money, they make other forms of contributions. The companies make their guest houses available to the leaders of political parties, they make their other material equipment available, motor cars and so on, even aeroplanes, to the various political parties depending on how strong that party is, which position it occupies vis-a-vis the Government. Therefore do not think that contribution is confined only to cash payment. There was a time when the business was cash and carry, now it is one of lend and lease. I lend you my cars, my houses, my other things and later on when you come into the Government you give me licences, permits and so on. This is how the *quid pro quo* is arranged. I want to put a stop to it. Therefore I say that this Bill is much wider, and I think it should be supported.

In this connection I want to bring to your notice one thing. You know the famous Mohan Meakin Breweries owned by one.....Mr. Arora, what is his name?

SHRI ARJUN ARORA Cbl. V. R Mohan.

SHRI BHUPESH GUPTA — owned by Col V R Mohan. He has appeared in the political horizon in a very big way. I find making contribution to many people, many parties. There was a question with regard to his Mohan Breweries in this House and it was found out and admitted by the Government also that illegal expansion of production had taken place. A show-cause notice was served on Mohan Breweries. When this Mohan Breweries again applied for expansion this show-cause notice was pending. Some officers supported Mohan Breweries while others did not, this was revealed in the House. The Minister, Mr Moinul Haque Choudhury, it must he said to his credit, also did not support the application for expansion being sanctioned when the show-cause notice was pending against the Mohan Breweries because of illegal expansion, unauthorised expansion, what is called substantial expansion of production without sanction of law, in fact violating the law.

Then, what happened? The same Mr B R Mohan started in Lucknow, his Mohan Breweries at Ghaziabad started in Lucknow a company called Mohan Gold Water, and the Mohan Gold Water company then applied for licence for production, and the Mohan Gold Water company was given a licence for production. That is what happened. And now, recently in a speech at the Company's meeting Mr B R Mohan said that he held a substantial controlling share in the Mohan Gold Water also. Now, this kind of thing goes on. On the one hand expansion is sought but not given on the ground that they had committed crime and were facing charges. On the other hand, the same man starts a new company in another place and gets the same licence sanctioned for expansion of production.

The Minister should have been fair to this House and should have told us instead of trying to take cover under certain technical or other difficulty, technically correct according to some Members. Well, he wanted to make out that no favours had been shown. The favour had been shown and the purpose of the law had been violated, in the first instance by allowing him to expand and then not taking penal action against him when the expansion had taken place. In Mohan Breweries the law had been violated and a fraud on Parliament had been committed. When the same Mohan Breweries and the same Mr B R Mohan started another company, the Mohan Gold Water, he got the licence when the show cause notice with regard to Mohan Breweries was still pending. Sir, all these things are known to the Government. I would like to know why it was done. Sir, everybody says that Mr B R Mohan makes a lot of contribution to certain political individuals apart from political parties. This is what we are told. The gentleman brags that he pays as income-tax one lakh of rupees per day and that he knows how to look after the administration and political leaders and so on. He goes on bragging. How, this thing everybody knows in Lucknow. My friends in Lucknow, our party people and others, have told me that he goes on bragging very openly that he can buy anybody he likes. Everybody knows it including perhaps the Minister for Industrial Development that Mohan Breweries has got a lobby in the Company Law Department. Also, I believe he has got one in the Finance Ministry. He has got a lobby in all the important Ministries of Government, and the corporations. Mr B R Mohan has got his men among the officers and others and it is well known. And this is how he helps the political parties and political individuals and gets in return assistance from them. Now I must also tell you that I have come to know again from Lucknow sources that Mohan Breweries has got also some people in

the Home Ministry to protect him. I should like that this question should be gone into. Sir, surprisingly enough, Mr. B. R. Mohan is also trying to terrorise officials in the various Ministries—it is well known—and he is getting the backing of some Ministers at least. Well, Sir, he is trying to terrorise the officials so that they cannot say anything against him or the papers coming from Mohan Breweries or Mr. B. R. Mohan. Yesterday I found he sent to me—good of him—a brochure brought out by Mr. B. R. Mohan, an expensive brochure on Bangla Desh, not an advertisement but an expensive brochure on Bangla Desh to flatter some leaders of the Government. Well, this is how it is going on. I therefore demand that this thing should be put a stop to. Now corruption takes place in this manner and the Company Law, which we have amended, is being circumvented otherwise, indirectly, and other methods have been found. Well, something is given and then you get something from these people. It is not any cash payment which is shown in the company's accounts so that they can evade the law that way. It is given in kind, given otherwise, given in certain material donations, not necessarily money or amount. This is what is happening. Everybody knows it. Everybody knows the famous Coca-Cola case. Coca-Cola also are financing some politicians in the country. Now, Sir, another interesting thing has come to our notice to show how these people behave. These people are corrupting the political life of our country in this manner. Therefore, drastic action should be taken. I shall show how other companies are being treated. Here I have got a letter from the Secretary of the National Federation of Indian Women, Bani Das Gupta. She is one of the Secretaries. The other Secretary of the organisation is Hamida Habibullah. She happens to be now a Minister in the UP Government. These are the two Secretaries. The patrons are: Anasuya Gyanchand, Pushpa Moyee

Bose and Kapila Khandwala. The President is Aruna Asaf Ali and so on. I have got the letter from one of the two Secretaries. The other Secretary being a Minister perhaps did not write, but they have written to me thus:—

“We understand from M/s Nava Bharat Enterprises who gave us two advertisements for our brochure in connection with our Annual Day function held on May 2nd, 1971, that the CBI issued summons to them to produce certain documents like the letter written by our organisation to the company requesting for advertisements.”

Now, here is the National Federation of Indian Women, an organisation consisting of people from various parties, people from no party, social workers and others. It is a social organisation. The other day they organised a function which was, I think, attended by Mr. Giri. Also, a message was sent by Prime Minister Indira Gandhi. Shri Siddhartha Shankar Ray, another Minister, addressed the conference where people from other countries of the world came and attended the function. Now, what happens? The Nava Bharat Enterprises gave an advertisement to the brochure brought out by such an organisation. The CBI goes there. Why? Why? I should like to know it. It is a serious matter.

SHRI RAJNARAIN: How big?

SHRI BHUPESH GUPTA: I do not know, but it was a small advertisement. The Nava Bharat Enterprises have been giving advertisements to this organisation for many years. They give advertisements to progressive journals. They give advertisement to my paper also for many years. They do not require to be influenced by anybody to give advertisement. The Nava Bharat Enterprises are a concern which consist among the owners

[Shri Bhupesh Gupta.]

or partners many progressive people. They always help progressive organisations of various types. In fact, one of the persons is known to us. He was associated some time back, twenty years ago, with the work of the communist group in Parliament. Now, he is a businessman. Many years ago he was associated. Such an enterprise will naturally give advertisements to progressive organisations. What is there for CBI to investigate? Why does not the CBI go after the Birlas who are giving advertisements? Why does not the CBI go after the Current paper and find out how many advertisements have been given to it and by whom? Why does not the CBI go after the advertisers of the pro-American journal Current in this country? And yet they go to hunt out and terrorise some such organisation like the National Federation of Indian Women. It is a shame and a disgrace.

SHRI ARJUN ARORA: What do you have against the Current?

SHRI BHUPESH GUPTA: Current is absolutely an American mouthpiece in our country. Current writes scandalous things against everyone who stands for progress. Among the journals it stands entirely discredited. Jawaharlal Nehru in the other House said that it was a dirty rag not worth looking at. When the Current gets advertisements, an anti-national, anti-democratic and frankly a pro-American journal, and you can see columns of advertisements. Then the CBI does not go and find out as to who the advertisers are, why the advertisements are being given. But the moment it comes to the question of an advertisement in a little brochure published by a social organisation like the National Federation of Indian Women, the CBI, is very active.

SHRI A. D. MANI: Why?

SHRI BHUPESH GUPTA: I do not know—terrorising. I say, some people are working. I do not know. You should find out. I should like to know whether it is the policy of the Government. I should like to know against how many advertisers in other papers which are absolutely reactionary, which write against progressive matters, which write against the Prime Minister even, the CBI has proceeded: in how many such cases the CBI has gone to investigate. Why the advertisers to this organisation's brochure are being persecuted? It is a serious matter. You cannot stop donations by big companies directly given to political parties like the Swatantra Party, the Jana Sangh and others. You cannot do anything. But when a small assistance by whatever advertisements is given to such organisation's publications, you go after them. Sir, what they write is very interesting—

"As you know, M/s. Nava Bharat have been giving us advertisements for the last so many years and it is nothing to them. I may also add that a substantial part of the money collected from the advertisements in the brochure has been contributed to Bangla Desh refugee camps."

This organisation, the National Federation of Indian Women, has raised funds for Bangla Desh refugee camps. They have sent money there and that is how those people have benefited—this money out of the sale of the brochure was sent—the entire money—to the refugee camps. And this is what the CBI is doing. This is shame, utter shame. They write—

"We would therefore like you to take up this matter."

I am taking it up. They are trying to intimidate—it is time that you stopped it—the advertisers who are giving advertisements to the progressive journals of social organisations and other organisations. Is it the policy now? I should like to know whether it is the policy of the Government. On the one hand, you talk about big reforms and other things and also pass such important measures and on the other

hand, allow the CBI to be used like this. Big business people, I regret to say, are using the CBI. The CBI is a very important organisation. We attach importance to them. As you know, we have been particularly careful about the CBI to give up such practices because it has a very important role to play in fighting corruption, political corruption, corruption by donations and so on and other types of corruption. Now, Sir, it would be a sad day for this country if the CBI is permitted to be used by some monopolists and others—big business people, certain officials of the Governments and so on—against this kind of organisation, to enter into politics, to enter into anti-social behaviour, in order to persecute those who are doing good work. Sir, you should think as to how to stop this thing. To this subject I shall come later on again one day when the Bill on Commissions of Inquiry comes up. But I must launch my protest against it. I should like to know from the Government what steps they have taken to penalise those people responsible for doing this thing. Nava Bharat people met me and told me that summonses were served on them, fantastic questions were asked. And the CBI did not even know that Messrs. Nava Bharat is a concern which has been giving advertisements to such an organisation, even to the Communist Party, for the last ten years or so, ever since, anyhow, Messrs. Nava Bharat enterprise has come into existence. I should like to know this thing from the Government.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Ram Sahai) in the Chair.

Sir finally before I sit down—because my friend, Mr. Rajnarain, would like to speak, I have already told him that I will conclude—I would say that something should be done to stop contributions going round. Lots of money are finding their way to political parties from big business people. Everybody talks about it. Sir, in many Ministries there are people who manoeuvre and manipulate contributions because they think that would help them. And I think that one Ministry

has looked after that thing very well—it is perhaps the Ministry of Industrial Development, and also I think that Ministry deals with licences and other things. But there are others there. Very interesting things are happening, I must tell you in other Ministries also it is going on. I think these things should be inquired into. Now the technique is to create terror among the advertisers, amongst the officials who are for progressive measures and who stand by the Government and protect the corrupt officials by diverting attention in other directions. To that I shall come later. I think this thing should be gone into. All contributions should be gone into. Partnerships should be covered. Individuals should be covered. Big businessmen should not be allowed to make contributions. Company accounts should be gone into. Black money is a very great source of contribution which is not shown in the company books at all, I say despite this Bill, lots of contributions are going to the various political parties, some political parties in particular. Now the trend is for the company owners to build up some individuals in the party. Now they do not necessarily give to the Congress Party. They find out the right type of people who would give to the party, right type of Ministers, right type of officials through whom the money should be channelised to the Minister concerned. All these things should be gone into. Now a chain has developed—Minister, officials, big businessmen and Mr. V. R. Mohan, the linchpin of that set-up. This thing should be stopped and properly investigated instead of the kind of thing that they are doing.

श्री राजनारायण : श्रीमन्. इस समय जितने लोग इस विधेयक के सम्बन्ध में बोले हैं, उन सब बातों का समुच्चय करना चाहिये। मैं जिस बातों से श्री भूपेश गुप्त जी ने खत्म किया है उसी बात से आरम्भ करना चाहता हूँ। ये जानते हैं कि यहां से 12 मील की दूरी पर 304 एकड़ जमीन जो अच्छी है और किसानों की जमीन है, उस जमीन को छोटी

[श्री राजनारायण]

कार के कारखाने के बनाने के लिये लिया गया है और उसमें श्री बी० आर० मोहन डायरेक्टर हैं। मुझे जानकारी यह कराई गई है कि 30 लाख के शेयर उन्होंने लिये हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि श्री भूपेश गुप्त को इस बात की जानकारी है या नहीं? संजय गांधी, श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी और बी० आर० मोहन के बीच जो सांटगांठ हो रही है, उसके बारे में उन्होंने इस सदन में चर्चा नहीं की और इस तरह से भ्रष्टाचार को छिपाने के सम्बन्ध में यह अपराध हुआ या नहीं? व सब कुछ बोल गये और उन्हें सारी बातों की जानकारी हो जाती है, मगर उन्हें इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है।

SHRI BHUPESH GUPTA: For the simple reason that I have nothing against Sanjay Gandhi. I have nothing against him.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, एक रौनक सिंह हैं जो दिल्ली के एक प्रतिष्ठित पूंजीपति हैं और श्री रौनक सिंह भी श्री संजय गांधी कम्पनी के एक डायरेक्टर हैं, जो दिल्ली के एक टायमोस्ट कैपिटलिस्ट हैं।

SHRI G. A. APPAN (Tamil Nadu): On a point of order, Sir. My friend, Mr. Rajnarain, mentioned about the Prime Minister or her name which has no relevance or reference to the Bill now under discussion. I do not know why such frivolous things are brought in causing unnecessary waste of time. Would you kindly ask Mr. Rajnarain to speak only on the Bill and not on any other thing?

SHRI BHUPESH GUPTA: Mr. Rajnarain has asked me. I do not know what he is saying. I do not have any such information. So far as Sanjay Gandhi is concerned.... (Interruptions.)

SHRI G. A. APPAN (Tamil Nadu): Sir, the time of the House is very precious. So, either he should stop all these things, or he should be asked to

go out. Otherwise, you should name him, Mr. Vice-Chairman, Sir.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, प्वाइंट ऑफ आर्डर, पर नानसेंस टाक नहीं होनी चाहिये।

SHRI G. A. APPAN: He has learnt many lessons all these years, but still he will not come to his own senses. It is rather ridiculous that a person like him should be kept by this House. We should have done it long, long before. He is taking undue advantage of the goodness of the House and of the generosity of the Members of this House.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, my friend, Mr. Rajnarain, has asked me a question. I do not know any such thing.

SHRI RAJNARAIN: You have said this. Do not waste time.

SHRI BHUPESH GUPTA: I said, I do not know any such thing and I am not concerned with the V. R. Mohan business. And as far as Sanjay Gandhi is concerned, I know him. He is the son of my friend, Mr. Feroze Gandhi, and is a very enterprising, intelligent young man. I think he should not be dragged in.

(Interruptions)

श्री राजनारायण : श्रीमन् . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री राम सहाय) : जो प्वाइंट ऑफ आर्डर उठाया गया है, वह कोई प्वाइंट ऑफ आर्डर समझ में नहीं आता, लेकिन मैं राजनारायण जी से यह निवेदन करूंगा कि वह उन आदमियों के नाम न लें कि जो हाउस में नहीं हैं या जिन को हाउस में जवाब देने का कोई मौका नहीं है यह ज्यादा अच्छा होगा।

श्री राजनारायण : किसी का नाम नहीं लिया गया। लेकिन जब और लोगों का नाम लिया गया है, तो संजय गांधी एक कैपिटलिस्ट हैं, उसका नाम लिया जायगा। संजय गांधी ने श्री बी० आर० मोहन

को डाइरेक्टर बनाया है, उस ने श्री रौनक सिंह को डाइरेक्टर बनाया है . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री राम सहाय): मेरा यह निवेदन है कि प्रैक्टिस यह होनी चाहिए हाउस में कि जो व्यक्ति अपनी सफाई देने के लिये या अपनी बात कहने के लिए हाउस में नहीं आ सके उन्हें यहाँ नहीं मेंशन करना चाहिये।

श्री राजनारायण: आपका कहना सही है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिन-जिन लोगों के नाम भूपेश गुप्त जी ने लिये वे यहाँ हैं?

उपसभाध्यक्ष (श्री रामसहाय): अगर भूपेश जी ने . . .

श्री राजनारायण : संजय गांधी का नाम आया तो यह बात कैसे अधूरी रह सकती है; मैं यह तो यह बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर किस तरह से पक्षपातवाद हो रहा है, किस तरह से कुनवापरस्ती हो रही है, किस तरह की भ्रवसरवादिता है। मैं श्री भूपेश गुप्त जी से जानना चाहता हूँ और उनसे और श्री चित्त बासु से मेरी करुण प्रार्थना है क्योंकि यह बिल उनका ही है कि वे कोई ऐसी व्यवस्था करें कि जो यह राजनीतिक दल हैं उनके पास पैसा कैसे और कहां से आता है। (Interruption) यह बात बिलकुल सफाई के साथ आनी चाहिये। कांग्रेस पार्टी (आर०) जो है उसके पास पैसा कहां से आता है और जो दूसरी पार्टियां हैं उनके पास पैसा कहां से आता है। सारी पार्टियों का बाकायदा हिसाब किताब आना चाहिये और दो साल से यहाँ पर कंपनी डोनेशन वर्जित है। कंपनियों को राजनीतिक काम के लिये सहायता देना वर्जित है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आज इस कानून से किसका फायदा है। भूपेश जी मार्क्स और लेनिन को बहुत पढ़े हैं। लेकिन लेनिन ने बार-बार कहा है कि बुर्जुआ और पंजीवादी सोसाइटी में जितने कानून बनेंगे उनका फायदा सब से ज्यादा पूंजीपति

लेगा। इस कानून का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी ने लिया है तो सत्तारूढ़ दल ने लिया, इन्दिग सरकार ने लिया और एक नहीं, अनेक उदाहरण देने के लिए तैयार हूँ। मैं कहना चाहता हूँ सफाई के साथ और ईमानदारी के साथ, खाली यह कह देने से कि सब लेते हैं, सब लेते हैं, अपने को छिपाने के लिए आगे-आगे बढ़ कर केवल चिल्ला देने से काम नहीं चलेगा, अगर हम ईमानदार हैं तो हमको सिद्ध भी करना पड़ेगा कि हम कितनी दूर तक ईमानदार हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि रूलिंग पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहां से आता है। एक-एक जगह पर दो-दो तीन-तीन लाख, दस-दस लाख, और पंद्रह-पंद्रह लाख रुपये कहां से आता है। कौन पैसा देता है इसकी कोई जांच-पड़ताल होगी या इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं होगी। इसकी छान-बीन होनी चाहिए। उनी तरह से, श्रीमान इस देश में बाकायदा इसकी भी जांच होनी चाहिये कि विदेशों में कितना पैसा आया, किस पार्टी को विदेशों से कितना पैसा मिला। विदेशों से भी पैसा आता है। हमारे यहाँ घर मंत्री श्री यशवन्त राव चव्हाण ने इसी भदन मैं एक बार नहीं कई बार इसको कहा है कि हाँ विदेशों से धन आ रहा है। तो उसके बारे में भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि विदेशों से जो धन आ रहा है। उन विदेशों में आने वाले धन पर भी रोक लगाई जानी चाहिये। और कंपनियों के द्वारा जो धन मिलता है उस पर जिस ढंग से रोक लगाई जा रही है वह नहीं लगाने के बराबर हो रही है। सत्ताधारी कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है और विदेशों से भी जो लोग पैसा ले रहे हैं उस पर भी रोक लगाई जानी चाहिये। सरकार के पास खूफिया है सरकार का सफिया बताये और ईमानदारी के साथ बताये कि विदेशों से किस दल को चुनाव में कितना पैसा मिलता है।

श्रीमान, बार-बार को कहा गया कि सी० बी० नु चुकी है कि विदेशों से पैसा पर

श्री राज नारायण

पेश किया जाय, उस रपट पर चर्चा हो। सरकार ने वायदा किया मगर इस सदन में विदेशों से आये हुये धन पर सी० बी० आई० की जो रपट है उस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई। क्यों ? क्योंकि यह सरकार नाजायज धन का नाजायज इस्तेमाल करना चाहती है। इसलिये सरकार ने ऐसा किया और आगे भी करेगी।

श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे मित्र श्री चित्त बासु जो इस प्रकार का विधेयक लाये हैं उसमें अगर कोई संशोधन की गुंजाइश हो तो इसमें यह संशोधन किया जाना चाहिये कि विदेशों में जितने बैंक हैं उन विदेशी बैंकों में यह देखा जाना चाहिये कि किस-किस भारतीय नागरिक का कितना रुपया है, वह रुपया कहाँ से आया और विदेश के बैंक में रुपया क्यों है ? सफाई के साथ इसकी जानकारी होनी चाहिये। और इसके साथ-साथ यह भी देखना चाहिये कि जो शासक दल में हैं या शासक दल में रहे हैं उनकी शासक होने के पूर्व क्या हैसियत थी और शासक होने के बाद उनकी क्या हैसियत है। श्रीमन् श्री शीलभद्र याजी को आपके द्वारा मैं खुला न्यौता देना चाहता हूँ कि यह चले जाय हमारे यहां और देख लें कि हमारी क्या हैसियत पहले थी और अब क्या हैसियत है। अकेले जा कर देख ले और ईमानदारी के साथ वह जो रपट देगे उस रपट को मैं कबूल कर लूंगा। मैं चाहता हूँ कि वह जाय और देखें उससे पता चल जायेगा कि जो हैसियत हमारी पहले थी उससे कई गुना हैसियत हमारी घट गई है क्योंकि हमने आजादी की लड़ाई में स्वाहा किया है, आहुती दी है, उसका कोई फायदा नहीं उठाया है। ऐसे लोग हैं जो कि आज की लड़ाई में थोड़ा काम कर के या फिर बिल्कुल नही कर के आज शासक-दल में जा कर के कुर्सी पर बैठे हैं और देश की जनता का धन खा रहे हैं वह जब यहां आ कर लम्बी चौड़ी करते हैं तो मुझे

हंसी आती है, आश्चर्य होता है।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि जो पहले कानून बना और अब चित्त बासु ने जो बिल पेश किया है . . .

श्री शीलभद्र याजी : श्रीमन्, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। राजनारायण जी ने ठीक कहा कि उन्होंने आजादी में बहुत किया है इनके घर की हालत जांच ली जाय इसमें कोई दो राय नहीं हैं लेकिन आज जो चर्चा चल रही है वह यह चर्चा चल रही है कि पोलिटिकल पार्टी या इंडिविजुअल जो इतना खर्च करता है जैसे कि इन्होंने चुनाव लड़ने में लाखों रुपया खर्च किया यह वह कहाँ से लाये, पूंजीपतियों से लिया या कहाँ से लिया इसका भी वह व्यौरा दें। हमको यह गाली देते हैं लेकिन यह खुद कहाँ से लाते हैं।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन पेटीशन में इस समय मुकदमा है जो हमने इंटरोगेटरी श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी पर जारी किया है अगर उनमें थोड़ी भी ईमानदारी है तो उस इंटरोगेटरी का जवाब दें। उससे भागे नहीं, वह सर्वोच्च न्यायालय में आई हैं और सर्वोच्च न्यायालय से भाग गई; कारण क्या है ?

श्री शीलभद्र याजी : यह दूसरा सवाल ले आये।

श्री राजनारायण : अगर उनमें ईमानदारी है, अगर उनमें सत्यता है तो उसका जवाब दें।

श्री कल्याण चन्द : यह इलेक्शन पेटीशन का रुपया कहाँ से ला रहे हैं ?

श्री राजनारायण : यह बेचारा हरिजन परिवार का है हम इसकी इज्जत करते हैं मगर यह कभी पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी भी नहीं बनाया जाएगा। (Interruption)

उपसभाध्यक्ष (श्री राम सहाय) : याजी जी आप जरा बीच में न बोले।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, आप इनको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं ? इसकी आदत पड़ गई है अब लोग समझ गए हैं । एक आदमी बेचारा जो इलाहाबाद से आता है लोग उससे पूछते हैं कि भाई जब इन्दिरा जी के बारे में राजनारायण बोलता है तो तुम क्यों हल्ला नहीं मचाते हो । तो वह अपने धर्म का पालन करता है ।

श्री कल्याण चन्द : हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं हम जानते हैं लाखों रुपए आपने चुनाव में खर्च किए हैं ।

श्री राजनारायण : तो श्रीमन्, मैं, जो विधेयक यहाँ पर चित्त बासु ने पेश किया है, उसकी ताईद करता हूँ । उन्होंने इसमें जो कांटीव्यूशन शब्द लिखा है निश्चित रूप से वह अमाउन्ट से व्यापक शब्द है और इसलिए हम यह नहीं चाहते थे कि डिपुटी चेयरमैन साहब इस पर कोई रोक लगाएँ । इस पर चर्चा होनी चाहिए यद्यपि हमारे चेयरमैन साहब का दिमाग उस समय साफ नहीं था ।

उपसभाध्यक्ष (श्री राम सहाय) : मैं आपसे अर्ज करूँगा कि चेयरमैन साहब का नाम न लाए तो अच्छा होगा ।

श्री राजनारायण : हम खाली आपको प्रतिलिखित कर रहे हैं । देखिए एक बात आप समझिए कि पार्लियामेन्टरी प्रोसेस में चेयर सबसे महत्वपूर्ण है । इसलिए हमने 1953 में एक प्रस्ताव रखा था कि—हू शुड बी दि चेयरमैन या हू शुड बी दि स्पीकर—कौन चेयरमैन होना चाहिए, कौन स्पीकर होना चाहिए । यह बहस हुई कि क्या यह प्रस्ताव विधान सभा में विचारार्थ आ सकता है । मगर हमारे स्पीकर साहब, अध्यक्ष साहब कुशल बुद्धि के थे । उन्होंने कहा ठीक है हमारे ऊपर आक्षेप आया तो कोई बात नहीं मगर यह हमारा प्रस्ताव . . .

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): I have a suggestion. I have thought over it again and again. I think at least for a day Shri Rajnarain should be in the Chair and he should be allowed to face the music. This is my humble request.

SHRI G. A. APPAN: The earlier it is done, the better.

SHRI BRAHMANANDA PANDA (Orissa): From there also he will rise on Points of Order.

श्री कल्याण चन्द : मिस्टर भूपेश गुप्त ने कहा राजनारायण जी को चेयर में बैठाइए । लेकिन खुद उनकी पार्टी के आदमी उनको चेयरमैन बनाने को तैयार नहीं हैं । जानते हैं यह पागल आदमी है ।

श्री शेर खान (मंसूर) : अगर वह चेयर पर होंगे तो राजनारायण कौन बनेगा ?

SHRI BHUPESH GUPTA: I am sure, if my friend Shri Rajnarain is in the Chair, he will so conduct the business of the House that ultimately he will have to vacate the Chair and walk out.

उपसभाध्यक्ष (श्री राम सहाय) : अब आप खत्म कीजिए । आज की बैठक का समय समाप्त हो रहा है ।

श्री राजनारायण : तो हम आगे कांटिन्यू करेंगे । अभी हमारा भाषण समाप्त नहीं हुआ है, हमको काफी बोलना है ।

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

I. THE ASIAN REFRACTORIES LIMITED (ACQUISITION OF UNDERTAKING) BILL, 1971.

II. THE MANIPUR (HILL AREAS) DISTRICT COUNCILS BILL, 1971.

SECRETARY: Sir, I have to report to the House the following messages